सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

10
अध्याय

वर्ष 2020 की शुरूआत सदी में विरले ही होने वाली महामारी से हुई, जिसके दौरान हमने देखा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वायरस से मानव जीवन को बचाने में सबसे आगे रहकर अनवरत काम किया। हालांकि इस महामारी ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया परंतु फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने समय पर हस्तक्षेप करते हुए महामारी को नियंत्रित करने के उपाय किए। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे कम 1.5 प्रतिशत है। जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण के खंड-1 के अध्याय 1 भी दर्शाया गया है, भारत ने अपनी कारगर नीति को लागू करके लाखों की जिंदगी बचाई है। महामारी के कारण होने वाले कष्टों को कम करने और लॉकडाउन के कारण आजीविका के नुकसान को कम करने के लिए सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को 2020-21 में बढ़ाया गया था।

लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुई और सरकार ने सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सुलभ बनाने के लिए कई उपाय किए। इसी तरह लॉकडाउन अवधि में भी गिग अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुई और संगठित क्षेत्र में घर से काम (डब्ल्यूएफएच) करने की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। पीएलएफएस रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार 2017-18 के दौरान 47.14 मिलियन की तुलना में, 2018-19 के दौरान कार्यबल में कुल 48.78 करोड़ की वृद्धि हुई। कार्यबल की संख्या में लगभग 1.64 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 0.42 करोड़ शहरी क्षेत्र के थे। इनमें 0.92 महिलाएं और 0.72 करोड़ पुरुष थे। वर्ष 2017-18 ओर 2018-19 के बीच बेरोजगारी की संख्या लगभग 0.79 करोड़ कम हुई, इनमें अधिकतर महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे। महिला श्रम बल की भागीदारी दर 2017-18 में 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.6 प्रतिशत हो गई। इन आंकड़ों से यह पता चला है कि रोजगार सृजन की दृष्टि से 2018-19 का वर्ष अच्छा रहा। 20 दिसंबर 2020 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निवल वेतन पत्रक डाटा से पता चला है कि ईपीएफओ में नए अभिदाताओं की संख्या 2018-19 में 61.1 लाख की तुलना में 2019-20 में 78.58 लाख हो गई। तिमाही पीएलएफएस, जिसमें शहरी क्षेत्र शामिल है, दर्शाता है कि वर्ष 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। रोजगार की स्थिति में पुरूष कार्यबल (15 वर्ष और उससे अधिक) के अनुपात पर विचार करते हुए अनियत मजदूरों का अनुपात 1 प्रतिशत प्वाइंट नीचे गिर गया और स्वनियोजित तथा वेतनभोगी कामगारों का अनुपात क्रमश: 0.6 प्रतिशत प्वाइंट और 0.4 प्रतिशत प्वाइंट बढ़ गया। इसी तरह, महिला कार्यबल (15 वर्ष और उससे अधिक) के मामले में स्वनियोजित महिलाओं का प्रतिशत 2 प्वाइंट तक बढ़ गया, नियमित/वेतनभोगी कामगारों का अनुपात 0.7 प्रतिशत प्वाइंट गिर गया और अनियत मजदूरों

का अनुपात 1.4 प्रतिशत प्वाइंट नीचे गिर गया। दि टाइम यूज़ सर्वे, 2019 की रिपोर्ट है कि महिलाएं प्रतिदिन रोजगार से संबंधित कार्यों (5.7 घंटे की तुलना में घर के कामकाज और घर के सदस्यों की देखभाल संबंधी कार्यों (7.5 घंटे) में अधिक समय लगाती है। यह श्रम बाजार में महिला भागीदारी कम होने के मुख्य कारणो में से एक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य की अधार भूत सेवाओं को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में दक्षता एनएचएस-5 के परिणामों में प्रदर्शित हो रही थी। जिसमें एन एफ एच एस-4 की तुलना में एन एफ एच एस-5 में अधिकांश चयनित राज्यों में शिशु मृत्यु-दर और पांच वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आई। जैसा कि खंड I के अध्याय 9 में दर्शाया गया है, यह गिरावाट प्रधान मंत्री जन औषधि योजना को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत लाघु करने के परिणामस्वरूप आई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक दवाओं, हैंड सेनिटाइजर, मास्क सहित सुरक्षात्मक उपकरण, पीपीई किट, वेंटिलेटर ओर पर्याप्त परीक्षण और उपचार सुविधाओं के साथ-साथ आबादी का टीकाकरण करने के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक आबंटन किया गया है। 2020-21 के दौरान आजीविका के नुकसान पर कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए है जैसे कि आत्म निर्भर योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना, मनरेगा के लिए उच्चतर आवंटन, गंतव्य राज्य में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान और अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए पथप्रवर्तक सुधारों को लागू किया गया है।

परिचय

10.1 कोविड-19 ने महामारी का सामना करने वाले समाजों, राज्यों और देशों की कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत ने 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसने कोविड-19 की वजह से मौतों की संख्या को कम करने में मदद की और साथ ही बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए और इससे भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाने में मदद मिली। लेकिन लॉकडाउन की संवेदनशील और अनौपचारिक क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। सरकार ने मार्च, 2020 में ''प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना'' के तहत ₹ 1.70 लाख करोड़ के प्रथम राहत पैकेज और मई, 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक प्रोत्साहन-सह-राहत पैकेज की घोषणा की। इन राहत उपायों के साथ ही वर्षों से सरकार द्व ारा चलाई जा रही विकास ओर कल्याणकारी योजनाओं ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझने के लिए देशों को समर्थ बनाया और अर्थव्यवस्था में V आकार का सुधार हुआ।

सामाजिक क्षेत्र के खर्च में रुझान

10.2 केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों) पर व्यय 2014-15 से 2020-21 (बी.ई.) की अवधि के दौरान 6.2 से बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि सभी सामाजिक क्षेत्रों में देखी गई। शिक्षा के क्षेत्र में यह 2014-15 के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत और इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत रही। सरकारी बजट में सामाजिक सेवाओं का सापेक्ष महत्व भी, जैसा कि कुल बजटीय खर्चों में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से के रूप में मापा जाता है, 2014-15 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 (बीई) में 26.5 प्रतिशत हो गया है (तालिका-1)

तालिका 1: सरकार द्वारा समाज सेवा क्षेत्र व्यय में रुझान (केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
							(लाख करोड़ ₹ में)
कुल बजट व्यय	32.85	37.61	42.66	45.16	50.41	58.76	64.70
समाज सेवा पर खर्च	7.68	9.16	10.41	11.40	12.78	15.31	17.16
जिसमें से:							
i) शिक्षा	3.54	3.92	4.35	4.83	5.26	6.13	6.75
ii) स्वास्थ्य	1.49	1.75	2.13	2.43	2.66	3.12	3.51
iii) अन्य	2.65	3.48	3.93	4.13	4.86	6.06	6.90
जीडीपी के प्रतिशत के स्प में							
समाज सेवा पर खर्च	6.2	6.6	6.8	6.7	6.7	7.5	8.8
जिसमें से:							
i) शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.5
ii) स्वास्थ्य	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.8
iii) अन्य	2.1	2.5	2.6	2.4	2.6	3.0	3.5
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में							
समाज सेवा पर खर्च	23.4	24.3	24.4	25.2	25.4	26.1	26.5
जिसमें से:							
i) शिक्षा	10.8	10.4	10.2	10.7	10.4	10.4	10.4
ii) स्वास्थ्य	4.5	4.7	5.0	5.4	5.3	5.3	5.4
iii) अन्य	8.1	9.3	9.2	9.1	9.6	10.3	10.7
सामाजिक सेवा के प्रतिशत के रूप में							
i) शिक्षा	46.1	42.8	41.8	42.4	41.2	40.0	39.3
ii) स्वास्थ्य	19.4	19.1	20.5	21.4	20.8	20.4	20.5
iii) अन्य	34.6	38.0	37.7	36.2	38.0	39.6	40.2

स्रोत: संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक और सर्वेक्षण गणना

टिप्पणी:

1. सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; पानी की आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; एस सी, एस टी और ओबीसी का कल्याण, श्रम और श्रम कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रभावितों को राहत प्रदान करना आदि शामिल हैं
2. 'शिक्षा' पर व्यय, 'शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति' पर व्यय से संबंधित है।
3. 'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण' और 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' पर व्यय शामिल है।
4. 2021-21 बीई + एएनबी में सामाजिक क्षेत्र (पीएमजीकेवाई सहित), आवास और स्वास्थ्य पर एक विशेष आर्थिक पैकेज, आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) अभियान का निधि आवंटन शामिल है।
5. बाजार की मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में अनुपात 2011-12 पर आधारित है।
6. 2016-17 तक के आंकड़े सभी राज्यों से संबंधित हैं। 2017-18 से आगे, यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

10.3 अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और महामारी को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। मई 2020 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी। बाद में नवंबर 2020 तक कुल ₹ 29.88 लाख करोड़ की अतिरिक्त सहायता की घोषणाएं की गईं। इसमें से, ₹ 4.31 लाख करोड़ का प्रावधान सामाजिक क्षेत्र के लिए किया गया था जिसमें (कोविड-19 सुरक्षा के लिए आर एंड डी अनुदान सहित), कामगारों और नियोक्ताओं, पटरी पर सामान बेचने वालों, मनरेगा के कामगार और एबीआरवाई आदि शामिल हैं।

मानव विकास

10.4 यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)[1] में वर्ष 2018 के 129वें रैंक की 129 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत का रैंक 131 था। उल्लेखनीय है कि एचडीआई रैंकिंग में वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में आई 2 प्वाइंट की गिरावट अन्य देशों के सापेक्ष है। एचडीआई संकेतकों के उप घटक-कर प्रदर्शन को देखते हुए भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई (2017 पीपीपी$) 2018 में 6442 अमरीकी $ से बढ़कर 2019 में 6681 अमरीकी $ हो गया है तथा ''जन्म के समय जीवन प्रत्याशा'' 2018 में 69.4 वर्ष से सुधरकर वर्ष 2019 में 69.7 वर्ष हो गई है। हालांकि वर्ष 2018 की तुलना में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों और अनुमानित वर्षों में 2019 में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि एचडीआई समायोजित प्लेनिटरी प्रैशर (पीएचडीआई)[2] के मान को ध्यान में रखते हुए भारत 8वें रैंक पर था जो एचडीआई रैंक से बेहतर थी। यदि कोई देश हमारे ग्रह पर करेई दबाव नहीं डालता तो इसका पीएचडीआई और एचडीआई समान होगा। लेकिन दबाव की मात्रा में वृद्धि के साथ पीएचडीआई, एचडीआई से नीचे आ जाता है। 0.7 या उससे कम की एचडीआई मान वाले देशों के लिए पीएचडीआई मान, एचडीआई मानों के बहुत निकट होती है। (तालिका 2)

तालिका 2: भारत के एचडीआई मान और उसके उप-घटकों का रूझान

वर्ष	1990	2000	2005	2010	2015	2017	2018	2019
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	57.9	62.5	64.5	66.7	68.6	69.2	69.4	69.7
स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष[b]	7.6	8.3	9.7	10.8	12.0	12.3	12.2	12.2
स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष[b]	3.0	4.4	4.8	5.4	6.2	6.5	6.5	6.5
प्रति व्यक्ति जी एन आई[a]	1,787	2,548	3,217	4,182	5,391	6,119	6,427	6,681
एचडीआई मान	**0.429**	**0.495**	**0.536**	**0.579**	**0.624**	**0.640**	**0.642**	**0.645**

**पृष्ठ सं. 2 से लें।*

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 2020, यूएनडीपी।

टिप्पणी: (a) सकल राष्ट्रीय आय 2017 डॉलर क्रय शक्ति समता (पीपीपी) पर आधारित है, (b) डाटा 2019 या सबसे हाल ही के उपलब्ध वर्ष से संबन्धित है।

10.5 भारत के लिए एचडीआई का मूल्य 2010 में 0.579 से बढ़कर 2019 में 0.645 हो गया है। 2010-2019 के दौरान औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि, 2000-2010 की अवधि के दौरान 1.58 प्रतिशत की तुलना में 1.21 प्रतिशत थी। औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि के क्रॉस कंट्री तुलना से पता चलता है कि भारत ब्रिक्स

1 The Human Development Report (HDR) published by the United Nations Development Programme (UNDP) estimates the human development index (HDI) in terms of three basic parameters: to live a long and healthy life, to be educated and knowledgeable, and to enjoy a decent economic standard of living.

2 The adjustment factor for PHDI is calculated as the arithmetic mean of indices measuring carbon dioxide emissions per capita and material footprint per capita.

(चित्र 1) से आगे है। इस गति को बनाए रखने के लिए और मानव विकास पर कोविड-19 के संभावित घाटे से उबरने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

चित्र 1: औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि दर (प्रतिशत) (2010-2019)

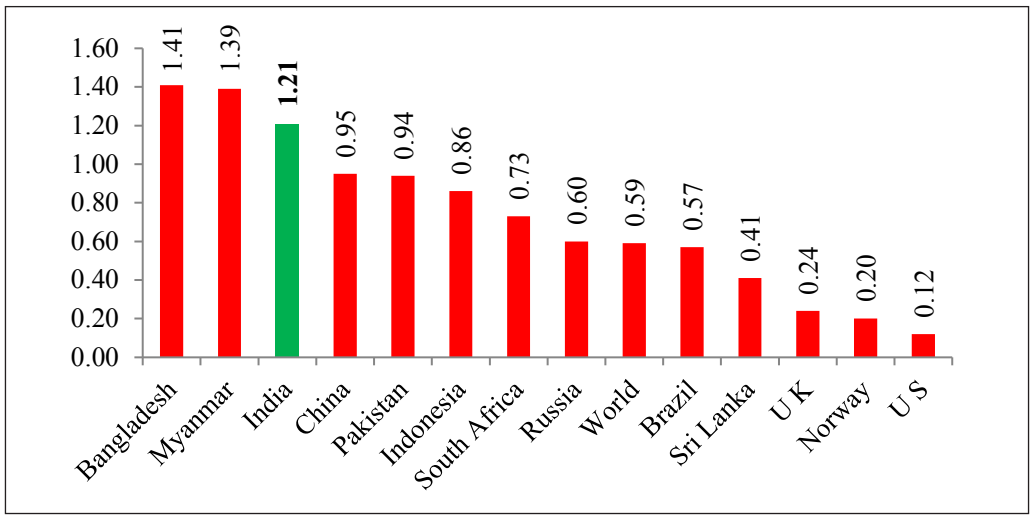

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 2020, यूएनडीपी

सभी के लिए गुणवत्ता पूर्ण श्रेष्ठ शिक्षा

10.6 भारत में अगले दशक में दुनिया में सबसे अधिक युवा लोगों की आबादी होगी, और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की हमारी क्षमता हमारे देश के भविष्य का निर्धारण करेगी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। सभी स्तरों पर स्कूल और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सकल नामांकन में प्रगति तालिका 3 में दी गई है। यू-डीआईएसई + 2018-19[3], के अनुसार, 9.72 लाख से अधिक सरकारी प्रारंभिक स्कूल के प्रत्यक्ष आधारभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है। इनमें से 90.2 प्रतिशत बालिकाओं के लिए शौचालय और 93.7 प्रतिशत बालकों के लिए शौचालय शामिल हैं। 95.9 प्रतिशत पेयजल की सुविधा है। 88 प्रतिशत विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा है, 82.1 प्रतिशत में धोने की (पीने का पानी, शौचालय और हैंड वॉश/(हस्त प्रक्षालन) सुविधा है, 84.2 प्रतिशत के पास मेडिकल चेक-अप (स्वास्थ्य जांच) की सुविधा है, 20.7 प्रतिशत के पास कंप्यूटर है और 67.4 प्रतिशत के पास बिजली का कनेक्शन है, 74.2 प्रतिशत के पास रैंप की सुविधा है, 56.5 प्रतिशत की बाउंड्री वॉल है, 69.3 प्रतिशत के पास खेल का मैदान है, 83.8 प्रतिशत के पास पुस्तकालय है, 21.5 प्रतिशत में किचन गार्डन और 13.9 प्रतिशत में वर्षा जल संचयन संरचना मौजूद है, 23.6 प्रतिशत के पास पानी की जांच करने की सुविधा है और 14.8 प्रतिशत के पास इनसिनीरेटर है।

तालिका 3: मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के संख्या में वृद्धि

वर्ष	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय (लाखों में)	माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लाखों में)	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
2011-12	11.93	2.12	34852	642
2018-19	12.37	2.76	39931	993

स्रोत: शिक्षा संबंधी आंकड़े एक नजर में, 2018 और यू-डी आईएसई + रिपोर्ट और एआईएसएचई रिपोर्ट 2018-19, शिक्षा मंत्रालय

3 द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यू-डीआईएसई +) स्कूली शिक्षा पर विभिन्न सूचकों पर डाटा संग्रहण करता है। इस रिपोर्ट के लिए प्राथमिक या प्राईमरी कक्षाओं के संचालन करने वाले विद्यालयों को ''एलीमैन्ट्री स्कूल'' स्कूल'' माना गया है।

10.7 हालांकि भारत ने प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96 प्रतिशत साक्षरता स्तर प्राप्त किया है, फिर भी हम 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने में पीछे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता पर 77.7 प्रतिशत थी, लेकिन सामाजिक-धार्मिक समूहों के बीच साक्षरता दर में अंतर के साथ-साथ लिंग भेद अभी भी कायम है (तालिका-4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, हिंदू वाद और इस्लाम/मुस्लिम के बीच महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय औसत से नीचे रही।

तालिका 4: 2017-18 में सामाजिक/धार्मिक समूह के अनुसार साक्षरों का प्रतिशत (आयु 7 वर्ष और अधिक)

श्रेणी सामाजिक समूह	ग्रामीण + शहरी		श्रेणी	ग्रामीण + शहरी	
	पुरूष	महिला	धार्मिक समूह	पुरूष	महिला
अनुसूचित जनजाति	77.5	61.3	हिन्दू	85.1	70.0
अनुसूचित जाति	80.3	63.9	इस्लाम	80.6	68.8
अन्य पिछड़ा वर्ग	84.4	68.9	ईसाई	88.2	82.2
अन्य	90.8	80.6	सिक्ख	87.3	75.9
सभी	84.7	70.3	समस्त^	84.7	70.3

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट 585: भारत में शिक्षा पर हाउसहोल्ड सामाजिक उपभोग, 2017-18

नोट: ^ सभी में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और अन्य धर्म शामिल हैं।

10.8 आयु विशिष्ट उपस्थिति अनुपात (एएसएआर) एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों के अनुपात को इंगित करता है जो वास्तव में स्कूल या कॉलेज में उस स्तर या कक्षा से संबंधित होते हैं जिसमें वे पढ़ रहे हैं। 6-13 वर्ष की आयु के बच्चों ने सभी राज्यों (तालिका 5) में लगभग 95 प्रतिशत और उससे अधिक उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन संबंधित राज्यों की शिक्षा की स्थिति में बेहतर उपलब्धि के बावजूद प्रारंभिक बाल शिक्षा में उपस्थिति दर, जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में विशेष तौर पर कम जोर दिया गया है, बहुत कम होने के साथ-साथ भिन्न भी है। जहां एक ओर पंजाब में 3-5 वर्ष के बच्चों की (अर्थात प्रारंभिक शिक्षा) उपस्थिति दर 61.6 प्रतिशत दर्शाई गई है, वहीं कर्नाटक में न्यूनतम उपस्थिति दर केवल 18.3 प्रतिशत ही रही है। 14-17 वर्ष की आयु वर्ग में जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर को कवर करता है, उपस्थिति दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, खासकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, गुजरात और राजस्थान में। 18-23 वर्ष के आयु वर्ग में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की उपस्थिति दर केरल और पहाड़ी राज्यों में शेष भारत की तुलना में उच्च रही है।

तालिका 5: विभिन्न आयु समूहों (2017-18) के लिए राज्य-वार आयु विशिष्ट उपस्थिति अनुपात (प्रतिशत)

राज्य	3-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-13 वर्ष	14-17 वर्ष	18-23 वर्ष
आंध्र प्रदेश	37.9	97.5	96.7	83.0	27.2
असम	35.2	97.5	96.9	74.7	21.9
बिहार	22.0	91.0	95.4	79.5	24.5
छत्तीसगढ़	25.3	96.6	95.5	81.9	22.7

राज्य	3-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-13 वर्ष	14-17 वर्ष	18-23 वर्ष
दिल्ली	48.1	99.0	89.6	90.4	31.6
गुजरात	31.4	97.5	93.7	74.8	20.5
हरियाणा	46.7	98.3	94.7	83.8	31.5
हिमाचल प्रदेश	54.8	99.9	99.3	94.7	42.2
जम्मू कश्मीर	28.2	97.9	97.2	87.6	46.4
झारखंड	35.0	97.1	95.7	79.2	22.8
कर्नाटक	18.3	97.4	98.1	83.6	30.3
केरल	58.3	100.0	100.0	98.3	47.4
मध्य प्रदेश	24.7	92.9	93.6	69.4	23.5
महाराष्ट्र	39.1	98.0	97.0	86.2	36.2
उड़ीसा	20.5	98.2	94.2	68.6	18.0
पंजाब	61.6	96.9	98.6	86.3	31.8
राजस्थान	35.8	93.1	93.0	75.9	34.8
तमिलनाडु	53.9	99.6	99.5	89.8	35.0
तेलंगाना	56.1	99.5	98.4	94.0	30.9
उत्तराखंड	28.7	99.1	97.8	92.5	43.9
उत्तर प्रदेश	26.4	90.6	89.4	68.0	27.6
पश्चिम बंगाल	40.0	97.8	92.9	79.6	24.9
अखिल भारत	**33.1**	**95.0**	**94.5**	**78.5**	**28.8**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट 585: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग

10.9 सरकारी स्कूलों और सरकारी संस्थानों में सस्ती और प्रतिस्पर्धी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने शिक्षा पर 1986 की 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की घोषणा की। नई नीति का उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है (बॉक्स 2)। इसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनके निवास स्थान की परवाह किए बिना, हाशिए पर पड़े, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है।

बॉक्स 1: 2020-21 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए कार्यक्रम और योजनाएँ

समग्र शिक्षा स्कूलिंग के समान अवसरों और समान अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्कूल प्रभावी उपायों में सुधार के विस्तृत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समग्र शिक्षा, एक अति महत्वपूर्ण को स्कूल शिक्षा सेक्टर में प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक कार्यान्वित किया गया है। योजना की परिकल्पना, शिक्षा के लिए एसडीजी के साथ प्री-स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है। योजना के मुख्य परिणामों में व्यवसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को मजबूत करने को शामिल करते हुए वैश्विक पहुंच, समानता और गुणवत्ता पर विचार करना है। योजना को 2018-19 में, निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ प्रारंभ किया गया था:

शिक्षा में समग्रतात्मक दृष्टिकोण: पहली बार उच्च माध्यमिक स्तर और प्री-स्कूल स्तर पर सहायता को शामिल करते हुए प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक एक सांतव्यक के रूप में स्कूली शिक्षा के साथ समग्रतात्मक बर्ताव।

शिक्षा की गुणवत्ता पर बल:

- दो टी-टीचर और टेक्नालाजी, पर बल देते हुए, शिक्षा की गुणवत्ता और अधिनियम परिणाम में सुधार पर अधिक बल।
- शिक्षकों और स्कूली प्रमुखों, बीआरसी, सीआरसी की क्षमता निर्माण को बढ़ाना।
- शिक्षा प्रणाली में भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु एससीईआरटी और डीआईईटी जैसे शिक्षक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने पर बल देना।
- पुस्तकालयों को मजबूत बनाने के लिए प्रति स्कूल वार्षिक अनुदान: पुस्तकालय अनुदान ₹ 5000 से बढ़कर ₹ 20,000 ।
- विज्ञान और गणित अधिगम के प्रसार हेतु राष्ट्रीय अविष्कार अभियान को समर्थन।

डिजिट शिक्षा को बढ़ावा देना:

- स्कूलों में उच्च प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्ड तथा डीटीएच चैनलों तथा आईसीटी अवसंरचना के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाना।
- ''दिक्षा'' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को समर्थन देना, जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को विद्यालय संबंधी विनिर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

विद्यालयों को मज़बूती प्रदान करना:

- सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना की गुणवत्ता में सभी स्तरों पर सुधार करना।
- विद्यालयों में सार्वभौमिक प्रवेश के लिए कक्षा I से लेकर VIII तक के बच्चों को वर्धित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
- मिश्रित विद्यालय अनुदान को ₹ 14,500-50,000 से ₹ 25,000-1 लाख तक की वृद्धि की गई और जिसे स्वच्छ क्रियाकलाप जो 'स्वच्छ विद्यालय' को समर्थन प्रदान करता है, उसे कम से कम 10 प्रतिशत आवंटन के साथ विद्यालय नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाना है।

बालिका शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:

- कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) का उन्नयन।
- प्राथमिक से ऊपर वाले कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक के चरण वाले कक्षाओं में मौजूद बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना।
- कक्षा I से XII-केवल प्रारम्भिक IX से XII के सी.डब्ल्यू.एस.एन. की बालिकाओं को स्टाइपेंड दिया जाना है।
- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' को वर्धित प्रतिबद्धता प्रदान करना।

समावेश पर ध्यान केंद्रित करना:

- प्रति वर्ष ₹ 400 से बढ़ाकर ₹ 600 प्रति बच्चे के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के तहत यूनिफाम्र्स का आवंटन करना।
- प्रति वर्ष ₹ 150/250 से बढ़ाकर ₹ 250/400 तक प्रति बच्चे के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के तहत पाठ्य-पुस्तकों का आवंटन करना। अत: इसमें क्यू.आर. कोड वाले पाठ्य-पुस्तकों की शुरूआत की गई।
- प्रति वर्ष ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 3500 तक प्रति बच्चे के लिए चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) का आवंटन करना। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जरूरतमंद बालिकाओं को ₹ 200 प्रति माह छात्रवृत्ति देना।
- प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालय के बच्चों के अलावा विद्यालय से बाहरी बच्चों को उपयुक्त आयु में दाखिला कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना।

कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना:

- कक्षा 9-12 के लिए इस पाठ्यक्रम में समन्वित व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्थित कर इसे अत्यधिक व्यावहारिक व उद्योग उन्मुख बनाया जाना चाहिए।

खेल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:

- खेल शिक्षा इस पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और प्रत्येक विद्यालय खेल के औचित्य को समझकर इसके महत्व पर बल देने के लिए ₹ 5,000 से लेकर ₹ 25,000 तक की लागत पर खेल उपकरण प्राप्त करेगा।

क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना:

- संतुलित शिक्षा विकास को बढ़ावा देना
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (ई.बी.बी.), एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिले, विशेष केंद्रित जिले (एस.एफ.डी.), सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा अभिनिर्धारित 115 आकांक्षापूर्ण जिलों को वरीयता देना।
- निष्ठा (नेशनल इनीसिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलीस्टिक एडवांसमेंट) नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए प्राथमिक स्तर पर अध्ययन परिणाम में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, समग्र शिक्षा योजना के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण और अध्ययन की आवश्यकताओं को प्रासंगिक बनाकर इसे 100 प्रतिशत ऑनलाइन किया गया।
- पढ़ना-लिखना अभियान वित्त वर्ष 2020-21 में 57 लाख शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ ₹ 142.6 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ एक वयस्क शिक्षा योजना शुरू की गई थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान स्कूलों में मिड-डे मील (एमडीएम) प्रोग्राम में 11.34 लाख पात्र स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं (I से VIII) में नामांकित 11.59 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया। कोविड-19 के दौरान स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां के दौरान पात्र बच्चों को एकबारगी उपाय पर विशेष भोजन के रूप में खाद्यान्न और दालें, तेल आदि (खाना पकाने की लागत के बराबर) प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बॉक्स 2 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

- वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ प्राग्विद्यालय (प्री. स्कूल) से माध्यमिक स्तर तक सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना।
- सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुगम बनाकर तथा मुक्त विद्यालय (ओपन स्कूल) प्रणाली में विस्तार करके स्कूल जाने वाले बच्चों में से लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है।
- वर्तमान 10+2 की प्रणाली के स्थान पर 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 5+3+3+4 वर्ष की नई पाठ्यक्रम संरचना को प्रतिस्थापित किया जाना है।
- 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को सरल बनाया जाएगा जिससे उनमें केवल याद किए गए तथ्यों की ही जांच नहीं बल्कि विद्यार्थियों की आंतरिक दक्षता का मूल्यांकन भी किया जा सकेगा।
- सरकारी और निजी दोनों तरह के विद्यालयों के लिए सार्वजनिक डॉमेन में ऑनलाइन घोषणा पर आधारित नया मानक फ्रेमवर्क लाकर स्कूल प्रशासन के स्वरूप को बदलने की तैयारी है।
- आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान पर बल दिया जाएगा, तथा स्कूलों में शैक्षिक शाखा, पाठेयत्तर गतिविधियों तथा व्यावसायिक शाखा के बीच कोई कड़ा विभाजन नहीं किया जाएगा।
- व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ की जाएगी और साथ में इंटर्नशिप भी करायी जाएगी।
- जहां तक संभव हो सकेगा कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। किसी भी छात्र को किसी भाषा को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

- 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड (हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड) के जरिए मूल्यांकन पद्धति में सुधार किया जाएगा जिससे विद्यार्थी के सीखने की गति पर नजर रखी जा सकेगी।
- स्कूली शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षकों के शिक्षण एवं वयस्क शिक्षा के लिए नई और व्यापक पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री न्यूनतम डिग्री योग्यता निर्धारित होगी।

स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

10.10 मार्च 2020 से ज्यादातर स्कूल कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते बंद पड़े हैं तथा बच्चों को घर पर उपलब्ध साधनों का उपयोग करके उनके घर में ही ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान दूरस्थ-अधिगम एवं दूरस्थ स्थानों से कार्य के मद्देनजर डाटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक-उपकरणों-कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि की उपलब्धता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अक्तूबर 2020 में जारी की गई

चित्र 2: कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग कर सकने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों (आयु 5-14 वर्ष तथा 15-29 वर्ष) की प्रतिशतता, वर्ष 2017-18

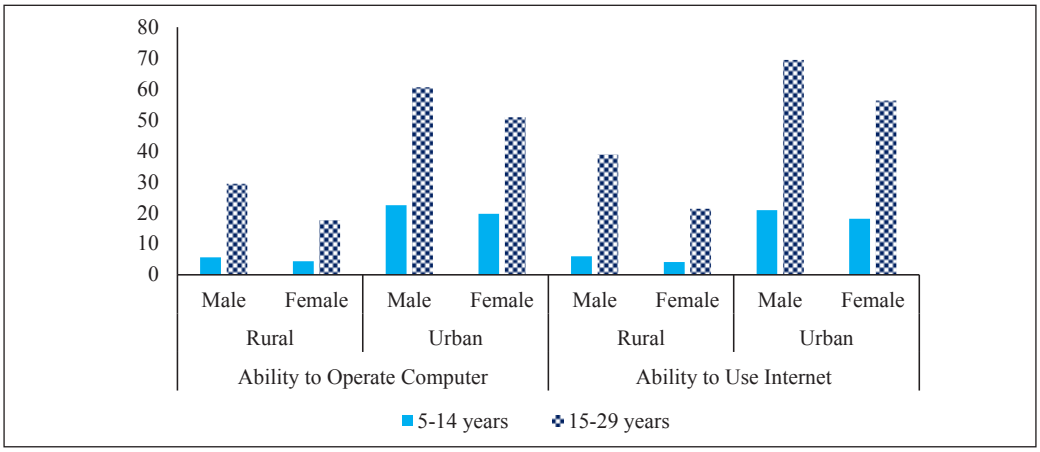

स्रोत: एन एस एस रिपोर्ट संख्या 585- भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत (कंजम्पशन), 2017-18

चित्र 3: सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के प्रत्येक पंचमक वर्ग के लिए कंप्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा वाले घरों की प्रतिशतता, 2017-18

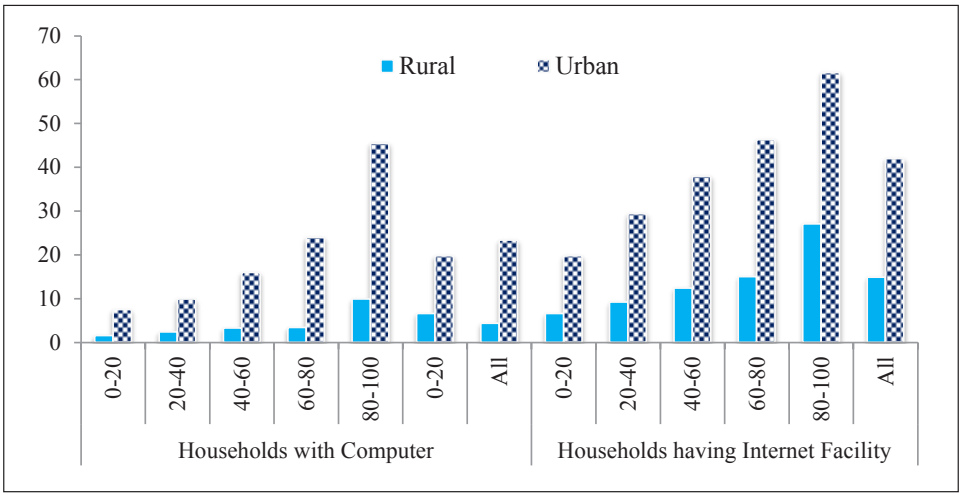

स्रोत: एन एस एस रिपोर्ट संख्या 585 - भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत (कंजम्पशन) , 2017-18

वार्षिक शैक्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए एस ई आर) 2020 वेव-1 (ग्रामीण क्षेत्र) के अनुसार ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चों की संख्या, जिनके पास स्मार्टफोन हैं, वर्ष 2018 में 36.5 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में वर्ष 2020 में यह भारी बढ़ोतरी के साथ 61.8 प्रतिशत हो गयी है। परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, महिलाओं और पुरूषों, विभिन्न आयु समूहो, विभिन्न आय वर्गों के बीच डिजिटल विभाजन की विषमता में जो कमी आई है, यदि इस स्थिति का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो शैक्षिक परिणामों में पाई जाने वाली विषमता को कम किया जा सकता है (चित्र 2 व 3)। इस प्रक्रिया को सुगम करने के लिए सरकार इस महामारी के समय में बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए कई उपाय लागू कर रही है। (बॉक्स 3)

बॉक्स 3: कोविड-19 महामारी के समय में स्कूल के छात्रों के लिए की गई पहल

1. **पी एम ई विद्या:** इस पहल की घोषणा मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए की गई थी। यह छात्रों और शिक्षकों तक शिक्षा को बहु-पद्धति से और न्यायसंगत रूप से पहुंचाने को सुगम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल है। स्कूली शिक्षा के चार पी एम ई - विद्या घटक इस प्रकार हैं:

   (क) एक राष्ट्र, एक डिजिटल शैक्षिक बुनियादी ढांचा: इस घटक के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एकल डिजिटल बुनियादी ढांचे अर्थात 'दीक्षा' (DIKSHA) के लिए नि:शुल्क एक्सेस प्रदान की गई है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, अत्यधिक अनुकूलनीय है तथा इसे वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम से संबंधित व्यापक ई-सामग्री के लिए विभिन्न यूज केसों तथा समाधानों जैसे क्यू आर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी), शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से पहुंच प्रदान करता है। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से 'दीक्षा' को 800 करोड़ से अधिक बार देखा (हिट किया) गया है। अप्रैल 2020 में विद्यादान पोर्टल को दीक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्य सामग्री योगदान कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था जिसने दीक्षा प्लेटफॉर्म को तथा शैक्षिक निकायों, निजी निकायों और अलग-अलग विशेषज्ञों से स्कूली शिक्षा के लिए ई-लर्निंग संसाधनों के लिए योगदान/दान किए जाने की मांग करने तथा अनुमति दिए जाने के साधनों को सशक्त बनाया है।

   (ख) एक कक्षा, स्वयं प्रभा टी.वी. चैनलों के माध्यम से एक टी.वी. चैनल: स्वयं प्रभा डी टी एच चैनल उन लोगों की सहायता एवं उपयोग के लिए प्रारंभ किए गए हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 12 चैनल स्कूली शिक्षा से जुड़े उच्च स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए नियत कर दिए गए हैं। इनका पायलट/बीटा संस्करण अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया है।

   (ग) रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग: दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उन बच्चों के लिए रेडियो प्रसारण का उपयोग किया जा रहा है जो ऑनलाइन नहीं है। सी आई ई टी एन सी ई आर टी ने 303 खंडों में पाठ्यक्रम आधारित रेडियो कार्यक्रम (कक्षा 1-8 तक के लिए) तैयार किए हैं जिन्हें 12 ज्ञानवाणी एफ एम रेडियो स्टेशनों, 60 सामुदायिक रेडिया स्टेशनों, iRadio तथा Jio सावन मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रसारित किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के लिए एन आई ओ एस के लिए पाठ्य सामग्री प्रसारित करने के लिए 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया गया है। सी बी एस ई के 'शिक्षा वाणी' नाम के पॉडकास्ट को कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षार्थियों द्वारा कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों से संबंधित श्रव्य पाठ्य सामग्री 430 से अधिक खंडों में शामिल की गई है।

(घ) **दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था:** एक डी टी एच चैनल विशेष रूप से बधिर विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा में चलाया जा रहा है। दृष्टिबाधित और बधिर छात्रों के लिए डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली (DAISY) और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। उक्त दोनों तरह की सामग्री एन आई ओ एस वेबसाइट/यू-ट्यूब पर उपलब्ध है। 25 एन सी ई आर टी पाठ्य पुस्तकों को भी DAISY प्रारूप में परिवर्तित किया गया है।

2. **मुक्त विद्यालयों एवं पूर्व-सेवा शिक्षा के लिए स्वयं एम ओ ओ सी (मैसिव ओपन ऑन लाइन कोर्स):** एन आई ओ एस (कक्षा 9 से 12 तक मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए) से जुड़े एम ओ ओ सी स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। लगभग 92 पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा स्वयं एम ओ ओ सी के तहत 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है।

3. **डिजिटल पहल के लिए वित्तीय सहायता:** कोविड-19 के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल पहलों के जरिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 818.17 करोड़ रूपए तथा समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को ऑन लाइन प्रशिक्षण देने के लिए 267.86 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं।

4. **मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार (एन आर ओ ई आर):** एन आर ओ ई आर ई-पाठ्य सामग्री का मुक्त ज्ञान भंडर है। यहां सभी कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों पर लगभग 17,500 खंडों में ई-पाठ्य सामग्री उपलब्ध है।

5. **डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञता दिशानिर्देश:** ये दिशानिर्देश ऑनलाइन/संयुक्त/डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए थे जो वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल बंद होने के कारण घर पर ही रहकर पढ़ रहे हैं।

6. **मनोदर्पण:** आत्मनिर्भर भारत अभियान में 'मनोदर्पण' पहल को मनोसामाजिक सहयोग देने के लिए शामिल किया गया है। यह शिक्षा क्षेत्र में सुधारों तथा पहलों के माध्यम से उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए मानव पूंजी को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का एक हिस्सा है।

कौशल विकास

10.11 ग्रामीण, शहरी और लिंग आधारित वर्गीकरण में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी एल एफ एस) के वार्षिक चक्र में कुशल लोगों के अनुपात में सुधार हुआ है (तालिका 6)। हालांकि कौशल अर्जन का स्तर

तालिका 6: 15-29 वर्ष एवं 15-59 वर्ष की आयु वाले उन लोगों की प्रतिशतता जिन्होंने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था

आयु समूह	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			अखिल भारत		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2017-18									
15-29 वर्ष	2.0	1.3	1.7	4.6	4.2	4.4	2.8	2.2	2.5
15-59 वर्ष	1.5	0.9	1.2	4.0	3.3	3.7	2.3	1.7	2.0
2018-19									
15-29 वर्ष	2.4	1.5	2.0	4.8	4.6	4.7	3.2	2.5	2.8
15-59 वर्ष	1.8	1.1	1.5	4.9	3.9	4.4	2.8	2.0	2.4

स्रोत: पी एल एफ एस वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19

कम रहा क्योंकि 15-59 वर्ष आयु वर्ग के केवल 2.4 प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसके अलावा अन्य 8.9 प्रतिशत कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8.9 प्रतिशत कार्यबल में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने काम करते हुए (ऑन-द-जॉब) प्रशिक्षण (3.3 प्रतिशत) प्राप्त किया है उसके बाद अपने प्रयासों से सीखने वाले लोग (2.5 प्रतिशत) तथा वंशानुगत स्रोतों (2.1 प्रतिशत) और अन्य स्रोतों से सीखने वाले लोग 1 प्रतिशत आते हैं।

10.12 उन लोगों में से जिन्होंने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, पुरुष और महिला दोनों ने अधिकांशतः आईटी-आईटीईएस का प्रशिक्षण कोर्स का चयन किया है, उसके बाद पुरुषों के लिए इलेक्ट्रिकल पॉवर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूंजीगत-माल-सामरिक विनिर्माण, ऑटोमोटिव, कार्यालय और व्यवसाय सम्बद्ध कार्यों का चुनाव किया गया जबकि महिलाओं के लिए कपड़ा हथकरघा परिधान, कार्यालय और व्यवसाय सम्बद्ध कार्य, स्वास्थ्य देखभाल, जीव विज्ञान और शिशु देखभाल-पोषण-स्कूल पूर्व और क्रेच से सम्बद्ध कार्यों को चुना था। सरकार विविध कौशल विकास पहलुओं के प्रति भारत के भौगोलिक लाभ के सभी उपायों को करने के लिए कटिबद्ध है (बॉक्स 4)।

बॉक्स 4: कौशल विकास पहलों के तहत नीतिगत सुधार

- **एकीकृत कौशल नियामक का संचालन करना:** कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक गतिशील और विश्वसनीय बनाने के लिए एकीकृत कौशल नियामक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनसीवीईटी) के संचालन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अधिक विश्वसनीय प्रमाणन और निर्धारण के लिए प्रथम प्रयास के रूप में, अक्तूबर 2020 में अवार्ड/मूल्यांकन निकाय दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए। नए नियामक द्वारा विशिष्ट संख्यात्मक प्रमाणन भी अनुमोदित किया गया। नियामक क्षमता अंतरराष्ट्रीय मानक के समतुल्य नियामक संस्था बनाने के उद्देश्य से विविध मानकीकरण प्रक्रिया, नियामक प्रणाली, मानव संसाधन, एलएमआईएस और अनुसंधान क्षमताओं का अधिसूचना के माध्यम से निरंतर रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है।

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0):** पीएमकेवीवाई 3.0 का प्रथम चरण 2020-21 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें प्रवासियों सहित 8 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने का एक अस्थायी लक्ष्य रखा गया। कार्य भूमिका की पहचान और रूपरेखा तैयार करने के लिए रणनीतिक कार्यान्वयन नीति में प्रतिमान विस्थापन द्वारा सबसे निचले स्तर को उठाने की मांग चालित सतही दृष्टिकोण अपनाया गया। पीएमकेवीवाई डीएससी 3.0 में राज्य कौशल विकास मिशन के नेतृत्व के तहत जिला कौशल समिति (डीएससी) को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जिला कौशल समिति (डीएससी) पीएमकेवीवाई 3.0 के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु होगा और जिला स्तर योजना, संघटन और अभ्यर्थियों को परामर्श, प्रशिक्षण बैचों की संरचना, गुणता आश्वासन की मॉनीटरिंग और प्रशिक्षण पश्च सहायता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के साथ समन्वय में स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की चरण-वार शुरूआत की जाएगी। यह घटक कौशल विकास के मार्ग को खोलने के लिए कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

- **गुणता संवर्धन:** दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणता संवर्धन तथा संस्थान के बारे में विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करने के लिए, आईटीआई की ग्रेडिंग उनकी गुणता सुधार और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। 11,000 आईटीआई का ड्राफ्ट ग्रेडिंग पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। वृहत्तर औद्योगिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण का द्वैध प्रणाली का नया मॉडल और फ्लेक्सी एमओयू कार्यान्वित की गई है जिसके अंतर्गत उद्यमों के साथ से अधिक 950 एमओयू पहले ही हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।

- **स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यावसायिक और औपचारिक एकीकरण:** स्कूल तथा उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा दोनों का एकीकरण सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के एकीकरण के प्रयास से एनईपी, 2020 को काफी प्रोत्साहन मिला, जिससे स्कूल और उच्चतर शिक्षा

के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले 5 वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर मिला है। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण एकीकरण के कुछ मुख्य घटकों में स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्तानक स्तर पर अध्ययन तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश में समान महत्व शामिल है। व्यावसायिक से सामान्य और सामान्य से व्यावसायिक में जाने के लिए हर प्रकार का ड्राफ्ट क्रेडिट फ्रेकवर्क, विकसित किया गया। स्कूलों में वीईटी के प्रारंभिक शुरूआत के संकल्पनात्मक ढांचा के साथ 3 राज्यों में 'हब-एन-स्पोक' 'hub-n-spoke' मॉडल भी विकसित किया जा रहा है और आस-पास के 5-7 स्कूलों के विद्यार्थियों को वीईटी से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें जानकारी देने के लिए आईटीआई 'हब' बनता जा रहा है। यह आशा की जाती है कि शिक्षा प्रणाली का औपचारिक और व्यावसायिक कृत्रिम पृथक्करण का शिक्षा में इससे अंत होगा ऐसे ढांचागत निर्बाध एकीकरण को समाप्त कर देगा।

रोजगार की स्थिति

10.13 पीएलएफ आंकलनों के आधार पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, प्रधान स्तर (पीएस)+गौण स्तर पर (एसएस)[4] ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए सभी आयु-वर्ग के लिए (तालिका 7) पुरुष-महिला के संबंध में कुल श्रम बल, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े ज्ञात किए गए हैं।

तालिका 7: वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रमिक बल, रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान (सभी आयु; पी एस + एस एस, करोड़ में)

श्रेणी	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18									
श्रमिक बल	25.48	8.67	34.15	13.25	3.57	16.82	38.73	12.24	50.97
रोजगार	23.91	7.70	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
बेरोजगारी	1.57	0.97	2.54	0.86	0.42	1.29	2.44	1.39	3.83
2018-19									
श्रमिक बल	25.77	8.77	34.54	13.60	3.68	17.28	39.37	12.45	51.82
रोजगार	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78
बेरोजगारी	1.40	0.31	1.71	0.96	0.37	1.33	2.36	0.68	3.04

स्रोत: पीएलएफएस 2017-18 और 2018-19 सर्वेक्षण के अनुमानित अनुमान निकटतम हैं।

टिप्पणी 1: 1 जनवरी, 2018 को अनुमानित जनसंख्या 135 करोड़ थी जिसे एनएसओइयूएस (2011-12) सूत्र $A=A1[1*(82/100)$ का उपयोग करते हुए पता लगाया गया और 1 जनवरी 2019 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या 137 करोड़ थी जिसे सूत्र $A=A1*[R/100$ $(94/120)$ का उपयोग करते हुए पता लगाया गया, जहां ।1, 1 मार्च 2011 के अनुसार जनगणना जनसंख्या है, आए जनगणना 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या में प्रतिशतता दशकीय परिवर्तन है और । क्रमशः 1 जनवरी, 2018 और 1 जनवरी 2019 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या है।

टिप्पणी 2: 1 मुख्य स्थिति (ps) गतिविधि का मापन करता है जिसमें व्यक्ति ने संदर्भ वर्ष (मुख्य समय मानदण्ड) में अपेक्षाकृत लंबा समय व्यतीत किया है जबकि गौण स्थिति मापन करता है जिसने कार्यबल में से अधिकांश दिवस व्यतीत किया है, किंतु समय (30 दिल से अधिक) की अल्प अवधि के लिए कार्य किया हैं

4 सामान्य स्थिति (PS+SS) में कामगारों को समान्य प्रधान स्थिति (PS) तथा गौण स्थिति (SS) को मिलाकर शामिल किया जाता है। सामान्य स्थिति (PS+SS) वाले कामगारों में ये शामिल है। '(क)' वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों में से सापेक्षतः लंबी अवधि तक काम किया था। (ख) शेष जनसंख्या में से वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वे की तारीख से पहले 365 दिन की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों तक कार्य किया था।

10.14 2018-19 में लगभग 51.8 करोड़ श्रमिक थे; जिसमें से 48.8 करोड़ नियोजित और 3.0 करोड़ बेरोजगार थे। 2017-18 और 2018-19 के बीच लगभग 0.85 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति देश के श्रम बल में शामिल हुए। इनमें से शहरी क्षेत्र से 0.46 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र से 0.39 करोड़ थे। इन में लगभग 0.64 करोड़ पुरुष और 0.21 करोड़ महिलाएं थीं, कार्यबल में लगभग 1.64 करोड़ व्यक्ति और शामिल हुए जिसमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र और 0.42 करोड़ शहरी क्षेत्र से थे। इन में 0.92 करोड़ महिलाएं और 0.72 करोड़ पुरुष थे। 2017-18 और 2018-19 के बीच नियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और अनियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी देखी गई जो लगभग 0.79 करोड़ थी, महिलाओं की अधिकतर संख्या ग्रामीण क्षेत्र से थी। महिला श्रमिक बल सहभागिता दर 2017-18 में 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.6 प्रतिशत हो गया। ये तथ्य दर्शाता है कि रोजगार की दृष्टि से 2018-19 वर्ष अच्छा रहा।

सारणी 8: श्रमिकों की संख्या (पीएस् एस एस), सेक्टर , लिंग और रोजगार की स्थिति द्वारा सभी आयु (करोड़ में)

2018-19	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्व-नियोजित	13.99	5.05	19.04	4.89	1.14	6.04	18.88	6.19	25.07
स्वयं खाता कर्मी और नियोक्ता	11.75	1.84	13.59	4.37	0.83	5.20	16.12	2.67	18.79
घरेलू उद्यम में हेल्पर	2.24	3.21	5.45	0.52	0.32	0.84	2.76	3.52	6.28
नियमित मजदूरी/वेतन	3.46	0.93	4.39	5.97	1.81	7.78	9.43	2.74	12.17
नैमित्तिक मजदूर	6.90	2.48	9.37	1.80	0.35	2.15	8.69	2.83	11.52
कुल	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78

स्रोत: पीएलएफएस 2018-19 सर्वेक्षणों का उपयोग कर अनुमानित/आंकड़े अनुमानित हैं।

10.15 कार्यरत कर्मचारियों के उद्योगवार अनुमानों से पता चलता है कि सबसे बड़े, लगभग 21.5 करोड़ व्यक्ति कृषि में कार्यरत हैं, जो अभी भी 42.5 प्रतिशत कार्यबल बाले सबसे बड़े नियोक्ता हैं, अगला महत्वपूर्ण उद्योग 'अन्य सेवाएं' हैं जहां लगभग 6.4 करोड़ व्यक्ति (13.8 प्रतिशत) लगे हुए हैं। विनिर्माण और 'व्यापार, होटल और रेस्तरां' ने 12.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ लगभग 5.9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जबकि 'निर्माण' उद्योग ने 2018-19 में लगभग 5.7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। कृषि, विनिर्माण परिवहन भंडारण और संचार एवं अन्य सेवाओं (संलग्नक 1) में नियोजित व्यक्तियों की वृद्धि हुई।

10.16 कुल नियोजित व्यक्तियों में लगभग 25 करोड़ स्वनियोजित हैं। 12.2 करोड नियमित मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं तथा 11.5 करोड़ अनियत कामगार हैं। स्वनियोजन अभी भी नियोजन का बड़ा स्रोत है लगभग 52 प्रतिशत श्रम बल स्वनियोजित पाया गया है। नियमित मजदूरी वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अनुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों में वृद्धि देखी गई। शहरी महिलाओं में यह वृद्धि अधिक थी जो 2017-18 में 52.1 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 54.7 प्रतिशत बढ़ गई। यह नियोजन की गुणवत्ता की सुधार को इंगित करता है। इसके साथ ही अनियत मजदूरी के अनुपात में गिरावट दिखाई दी जो शहरी महिलाओं के मामले में अधिक थी। 2017-18 में शहरी महिलाओं को इसका 13.1 प्रतिशत थी जबकि 2018-19 में यह दर 10.7 प्रतिशत था। इसकी तुलना में 2017-18 में पुरुषों के लिए 15.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में

14.2 प्रतिशत हो गया। त्रैमासिक पीएलएफएस में केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और यह देखा जा सकता है कि नियमित मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के रूप में नियोजित पुरुषों का अनुपात जनवरी–मार्च 2020 से जनवरी–मार्च, 2019 की तुलना में बढ़ गया है जबकि इसी अवधि के दौरान अनियत श्रमिकों की श्रेणी में आने वाले पुरुष और महिला दोनों की संख्या में गिरावट देखी गई। (तालिका 8)

तालिका 9: शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति के अनुसार नियोजित व्यक्तियों का वितरण प्रतिशत (आयु: 15 वर्ष और उससे अधिक, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार)

श्रेणी बध रोजगार की स्थिति	जनवरी–मार्च 2019 (Q4)		अप्रैल–जून 2019 (Q1)		जुलाई–सितम्बर 2019 (Q2)		अक्टूबर–दिसम्बर 2019 (Q3)		जनवरी–मार्च 2020 (Q4)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
स्व–रोज़गार	38.9	32.8	38.7	33.3	39.4	34.0	39.0	34.4	39.3	34.8
नियमित–मजदूरी/ वेतन–कर्मचारी	47.9	58.2	48.0	58.3	47.5	57.4	48.0	57.3	48.5	57.5
नैमित्तिक मजदूर	13.2	9.1	13.3	8.4	13.1	8.6	13.1	8.4	12.2	7.7

स्रोत: त्रैमासिक बुलेटिन, पीएलएफएस, जनवरी–मार्च, 2020

Note: CWS-Current Weekly Status of a person, is the activity status obtaining for a person during a reference period of 7 days preceding the date of survey.

औपचारिक रोजगार

10.17 20 दिसंबर, 2020 तक ईपीएफओ का शुद्ध वेतनपत्रक (पेरोल) डेटा वर्ष 2018–19 के 61.1 लाख की तुलना में वर्ष 2019–20 में 78.58 लाख था जो कि ईपीएफओ में नए अभिदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। ये अनुमान ईपीएफओ के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के दौरान नए नामांकित, निकाले गए और फिर से शामिल होने वाले सदस्यों के निवल आंकड़े हैं। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, शुद्ध नए ईपीएफ अभिदाता आंकड़े सभी आयु समूहों में वृद्धि को दिखाते हैं और सितंबर, 2020 में यह 13.2 लाख अभिदाताओं के साथ चरम बिंदु तक पहुंच गया था (चित्र 4)

चित्र 4: निवल नए ईपीएफ अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) का वेतन-पत्रक डेटा, अप्रैल–अक्टूबर, 2020 की अवधि के लिए आयु-वर्ग वार (हजारों में)

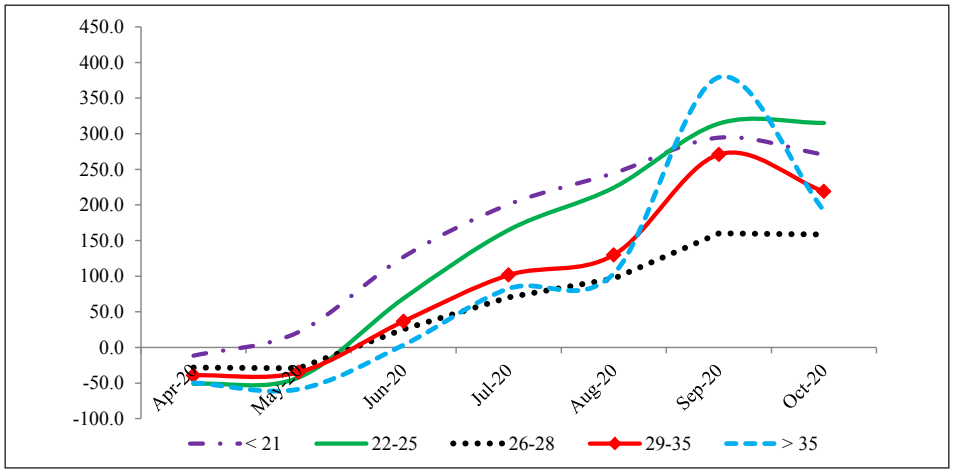

स्रोत: ईपीएफओ

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और अनुवर्ती माह में अद्यतन हो जाता है।

बेरोजगारी

10.18 सामान्य स्थिति के अनुसार, सभी आयु के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर, वर्ष 2018-19 में मामूली रूप से घटकर 5.8 प्रतिशत रही जो कि वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी। चित्र 5 में वर्ष 2018-19 और वर्ष 2017-18 में विभिन्न श्रेणियों जैसे ग्रामीण, शहरी, युवा, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए बेरोजगारी दर की तुलना की गई है। अधिकांश श्रेणियां या तो लाल रेखा पर 45-डिग्री पर हैं या रेखा के नीचे हैं, जो बताती हैं कि 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है या स्थिर बनी रही।

चित्र 5: वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के मध्य बेरोजगारी दर का स्तर और इसमें परिवर्तन

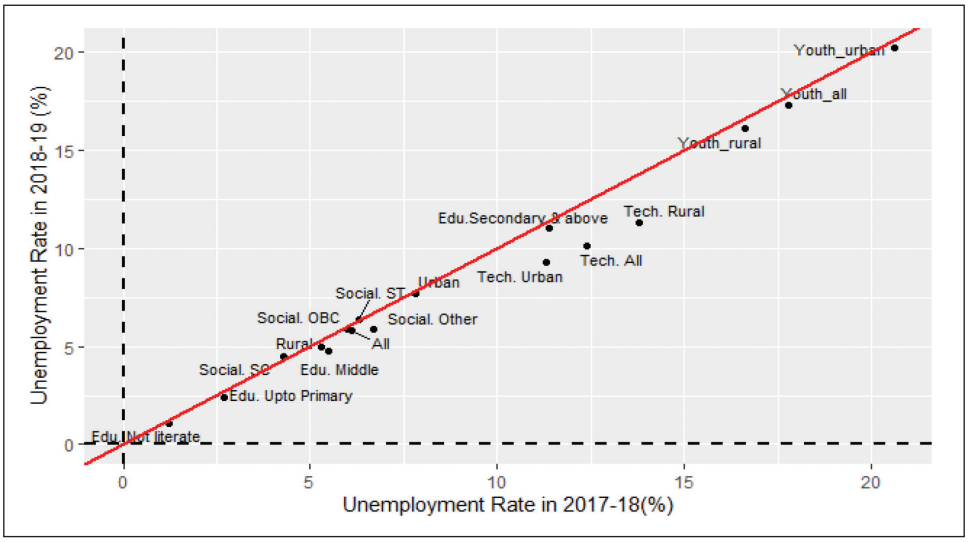

स्रोत: पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18 और 2018-19

टिप्पणी: बेरोजगारी दर प्रायिक स्थिति पर आधारित है। तकनीकी 15-59 वर्ष आयु वर्ग को दिखाता है जिन्होंने ब्रॉड एक्टिविटी स्टेटस (व्यापक गतिविधि स्थिति) (औपचारिक, नियोजित, बेरोजगार और श्रम बल के अतिरिक्त) द्वारा औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। युवा 15 से 29 वर्ष के बीच के व्यक्ति को दिखाता है। शिक्षित: 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, जिनकी शैक्षिक प्राप्ति भिन्न है, दर्शाता है।

10.19 बेरोजगारी दर में गिरावट सभी श्रेणियों में व्यापक से देखी गई। उन लोगों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शहरी युवाओं (उम्र 15-29 वर्ष) में बेरोजगारी का स्तर उच्चतम 20.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है, और यह 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जिनका शैक्षिक स्तर विभिन्न प्रकार का है के उप-वर्ग निरक्षर के लिए सबसे कम है 1.1 प्रतिशत है।

10.20 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 2018-19 की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की युवा बेरोजगारी को चित्र 6 में दर्शाया गया है। भारत के राज्यों में युवा बेरोजगारी दर में व्यापक भिन्नता है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर और बिहार जैसे राज्यों में यह सबसे अधिक है जबकि गुजरात, कर्नाटक, पं. बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों में कम है। जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश रेड लाइन या उसके आस-पास हैं जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र दर्शाते हैं कि उनकी शहरी-युवा बेरोजगारी दर ग्रामीण बेरोजगारी दर के लगभग बराबर है। और लाइन के ऊपर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दर्शाते हैं कि गांवों की अपेक्षा शहरों में युवा बेरोजगारी अधिक है। यह काफी स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामों की तुलना शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है।

चित्र 6: राज्यों में ग्रामीण और शहरी रोजगारी दर (2018-19)

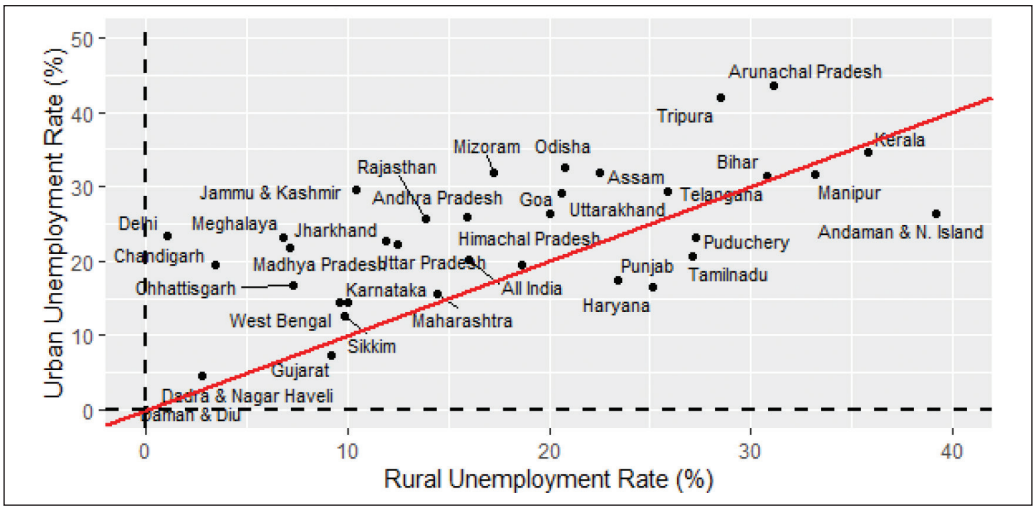

स्रोत: पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19

श्रमिक सुधार

10.21 वर्ष 2019 और वर्ष 2020 श्रम सुधारों के इतिहास में ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं, जब देश ने लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और व्यावसायिक सुरक्षा पर चार श्रम संहिताओं में समहित, तर्कसंगत और सरलीकृत किया जा रहा है, यथा (i) मजदूरी संहिता, 2019, (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, (iii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यचालन परिस्थितियों संहिता 2020 और (iv) सामाजिक सुरक्षा 2020, बदलते श्रम बाजार के रुझान के अनुरूप और एक ही समय में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता और कल्याण आवश्यकताओं को समायोजित करते हुए, स्वरोजगार और प्रवासी श्रमिकों सहित, कानून के ढांचे के भीतर ये सुधार लगभग तीन दशकों से खिंचती चली आ रही प्रक्रिया थी जैसा कि बॉक्स-5 में देखा जा सकता है। प्रत्येक श्रम संहिता के मुख्य अंश अनुबंध-II में दिए गए हैं।

बॉक्स-5: वर्ष 1991 के बाद श्रमिक सुधार का कालक्रम

क्र. सं.	आयोग/समिति/ रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	सिफारिश
1.	ग्रामीण श्रम राष्ट्रीय आयोग	1991	प्रोफ. सी एच अनुमंथा राव	श्रमिकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए सिफारिशें, सभी प्रवासियों को सम्मिलित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा, 1990 की कीमतों पर प्रति दिन ₹ 20 की न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की।
2.	सरलीकरण, युक्तिकरण और श्रम कानूनों का समेकन	1994	नेशनल लेबर लॉ एसोसिएशन	भारतीय श्रम संहिता 1994 की सिफारिश की। इस कोड को श्रमिक पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया था।
3.	नौवीं पंचवर्षीय योजना खंड-2, मानव और सामाजिक विकास	1997-2002	योजना आयोग	वर्तमान श्रम कानून कार्यबल के एक छोटे से हिस्से को सुरक्षित करते हैं। नौवीं योजना का उद्देश्य कानूनों की संख्या को कम करना है, इस उद्देश्य के साथ कि कम संख्या के कानून पूरे कार्यबल को सुरक्षित करे

4.	मित्रा समिति	1997	श्री मित्रा	औद्योगिक संबंध अधिनियम में प्रमुख सिफारिशें, काम करने वाले की परिभाषा का श्रमिकों मजदूरी के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए और सभी श्रम कानूनों को एक समान बनाया जाना चाहिए।
5.	प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा पर आयोग, वॉल्यूम-I और II	1998	श्री पी. सी. जैन, भारत सरकार के सचिव (सेवानिवृत)	मित्रा समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। विवादों से ध्यान हटाने तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध ों पर ध्यान लाने के लिए औद्योगिक संबंध अधि नियम को रोजगार संबंध अधिनियम के रूप में बदल दिया गया। सभी परिधीय और मौसमी गतिविधियों में ठेका श्रम की भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए ठेका-श्रम अधिनियम में संशोधन किए गए।
6.	रोजगर के अवसरों पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट	2001	डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया	कुल रोजगार समस्या में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों पर ध्यान देने की जरूरत। औद्योगिक विवाद अधिनियम क अध्याय V-8 का विलोपन। अल्कालिक रोजगार ठेकों का आरंभ जहां श्रमिको को एक आकर्षक वेतन का भुगतान करके ठेके के आधार पर रखा जा सकता है। ''स्ट्राइक बैलट'' -स्ट्राइक को केव तभी किया जा सकता है जबकि श्रमिकों के एक योग्य बहुमत द्वारा इसका समर्थन किय गया हो। औद्योगिक विवाद दायर करने के लिए तीन साल की समयबद्धता। ठेक-श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में संशोधन, जिससे विशेष फर्मों से गौण गतिविधियों के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति दी जा सके
7.	दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रम और रोजगार पर संचालन समिति की रिपोर्ट (2002-07)	2001	डॉ. एस. पी. गुप्ता सदस्या, योजना आयोग	श्रम कानूनों को आधुनिक बनाया जाना तथा इसे और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाना। राज्य सरकारें संभवत: श्रमिकों की सुरक्षा अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, ओर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार श्रम कानूनों में संशोधन करने की अनुमति दे सकती हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन और बेरोजगारी लाभ पर विचार किया जाना शेष है।
8.	प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसरों को लक्षित करने वाला विशेष समूह	2002	डॉ. एस. पी. गुप्ता, अध्यक्ष, योजना आयोग	राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रम कानूनों में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन श्रमिकों की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। असंगठित रमिकों के लिए पेंशन और बेरोजगारी लाभ पर अभी विचार किया जाना शेष है। छोटे पैमाने की इकाइयों पर अनुपातहीन नियामक बोझ से बचें। इकाइयों द्वारा स्व-प्रमाणन और यादृच्छिक निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है।

9.	दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग	2002	श्री रविन्द्र वर्मा	केंद्रीय श्रम कानूनों के वर्तमान समूह को औद्योगिक संबंधों, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण और कामकाजी परिस्थितियों आदि से संबंधित चार या पांच व्यापक समूहों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राय दी कि, ''श्रम कानूनों को तर्कसंगत व युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में हम सहूलियत के साथ विद्यमान श्रम कानूनों को सर्वमान्य प्रकार्य-समूहों में समूहित कर सकते हैं। जहां अंतिम उद्देश्य ऐसे सभी प्रावधानों को एक व्यापक संहिता में सम्मिलित करना होगा, इसलिए ऐसे संहिताकरण को चरण-बद्ध रूप में किया जाना है और जिसका प्रस्ताव किया गया है, हम आशा करते हैं कि यह इस क्रम में पहला कदम होगा लेबर कोड को मूल श्रम अधिकारों या मानकों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, काम के अधिकतम घंटे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के न्यूनतम मानक आदि जैसे बुनियादी कानून को एक समान रखना चाहिए जो सभी श्रमिकों पर लागू होगा। सभी रोजगारों पर लागू नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज की आवश्यकता। राज्य एनएफएलएमडब्ल्यू से ऊपर न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे।
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम-I और II, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा,	2002-2007	श्री के. सी. पंत, उप-निदेशक अध्यक्ष, योजना आयोग,	संगठित क्षेत्र पर लागू कठोर श्रम कानून उद्यमी को जरूरत पड़ने पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान की तुलना में श्रम को युक्तिसंगत बनाना कठिन बनाते हैं। उद्यमी के लिए श्रमिक की प्रभावी लागत मामूली वेतन बिल से कई गुना अधिक हो सकती है। श्रम कानूनों को सुधारें। श्रम कानूनों की कठोरता से लघु उद्योग को छूट दी जाए कानूनों के अनुपालन के स्थान पर स्व-प्रमाणीकरण और यादृच्छिक निरीक्षण को आरम्भ किया जाए। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं। औद्योगिक विवादों को कम करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए विधायी और प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए। अंतर-राज्य विविधताओं को कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए सर्वेक्षण द्वारा, श्रम प्रवास के लिए एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली का निर्माण किया जाए।

11.	असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग	2009	डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता,	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से कानून और श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने की सिफारिश की गयी
12.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना खंड-I, समावेशी विकास,	2007-12	डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष योजना आयोग,	श्रम कानूनों में लचीलेपन की कमी, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अध्याय V-B और ठेका-श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, जो नौकरी की सुरक्षा पर केंद्रित रहता है, एक बड़े कार्यबल के साथ नए उद्यमों की स्थापना के विरूद्ध उद्यमियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक अवरोध बना हुआ है। उद्योग में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के परिणामस्वरुप बाहरी बाजारों से मौसमी आपूर्ति के अवसरों को जाने देते हैं। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में, निर्माताओं को प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जो अधिक लचीलेपन का आनंद लेते हैं इसलिए इन कानूनों के साथ बनाई गई समस्याओं के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना आवश्यक है। कॉरपोरेट सेक्टर को अधिक श्रम प्रधान क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्यमान कानूनों और विनियमों की समीक्षा की जाए और रोजगार के विस्तार और असंगठित उद्यमों के उत्पादन को सरल बनाया जाए जोकि श्रम-गहन क्षेत्रों में परिचालित होते हैं।
13.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रम कानूनों और अन्य विनियमों पर कार्य समूह की रिपोर्ट (2012-17),	2007-12	श्री पी. सी. चतुर्वेदी, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय,	कानूनों की बहुलता को कम करने और बेहतर प्रवर्तन और प्रभावी अनुपालन के लिए श्रम कानूनों का समेकन, सरलीकरण और युक्तिकरण। इससे आम मुद्दों पर समान श्रम नीति को व्यावहारिक बनाने में सहायता मिलेगी। समूह ने समेकन के लिए चार संज्ञानात्मक वर्गों के बनाए जाने की सिफारिश की है; अर्थात (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम को सम्मिलित करने के लिए औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करने वाला कानून। (ख) समान पारिश्रमिक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम को सम्मिलित करने के लिए मजदूरी नियंत्रक कानून। (ग) सामाजिक सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला कानून कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,

				कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधि नियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम को सम्मिलित करेगा (घ) काम करने की स्थिति और कल्याण को नियंत्रित करने वाले कानून में कारखाना अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, ठेका-श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम और अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधि नियम सम्मिलित होंगे। और (ङ) कल्याण उपकर कानून-सभी उपकर अधिनियम और कल्याण निधि अधिनियम को मिलाकर एक अधिनियम में मिला दिया जाए।
14.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना Vol.-II, रोजगार और कौशल विकास	2012-17	डॉ. मांटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग	श्रम कानूनों की बहुलता कारखाने क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। श्रम कानूनों को सरल बनाने की जरूरत है। श्रम कानूनों की समीक्षा करें जो अल्पकालिक प्रशिक्षु और प्रशिक्षार्थियों को काम पर रखने से रोकते हैं।
15.	आर्थिक सर्वेक्षण, खंड-II, अध्याय-10	2014-15	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	श्रम कानूनों की बहुलता और उनके अनुपालन में कठिनाई औद्योगिक विकास के लिए एक बाधा है। कानून का अनुपालन करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक बड़ी पहल के रूप में, श्रम सुधार उपायों का एक समूह सामने रखा गया है। राष्ट्रपति की सहमति ने राजस्थान में श्रम सुधारों को सुसाध्य बना दिया है जोकि राज्यों द्वारा अतिरिक्त सुधार आरंभ करने के लिए एक उदाहरण बन चुका है।
16.	आर्थिक सर्वेक्षण, खंड-I	2018-19	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	अनम्य राज्यों के श्रम कानूनों में कठोरता नियोक्ताओं को श्रमिकों के स्थान पर पूंजी में निवेश करने को अधिमान बना देती है। अपने श्रम कानूनों की कठोरता के कारण अनम्य राज्य को सभी दिशाओं से हानि होती है क्योंकि वे पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, अपने राज्यों में पर्याप्त पूंजी को आकर्षित नहीं कर पाते हैं और उनके राज्य में मजदूरी भी कम मिलती है क्योंकि उनकी उत्पादकता कम होती है। सर्वेक्षण में सिफारिश की गई थी कि श्रम कानून प्रतिबंधों के अविनियमन से काफी हद तक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं।
17.	श्रम संहिता-वर्तमान स्थिति	2020	श्रम और रोजगार मंत्रालय	मजदूरी बिल पर कोड पहली बार वर्ष 2017 में संसद में पेश किया गया और 2018 में संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) द्वारा इसकी जांच की गई और वर्ष 2019 में इसे अधिनियमित किया गया।

				औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक का ड्राफ्ट वर्ष 2015 में पहली बार तैयार किया गया, पीएससी द्वारा आठ बार इसकी जांच की गई, और आखिरकार सितंबर 2020 में इसे अधिनियमित किया गया। संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) द्वारा 9 बार जांच किए जाने के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा पर कोड को अंततः सितंबर 2020 में अधिनियमित किया गया। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता की वर्ष 2019 में संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) द्वारा चार बार जांच की गई और सितंबर 2020 में इसे अधिनियमित किया गया।

स्रोत: सरकारी वेबसाइटों से सर्वेक्षण संकलन

काम की प्रकृति में बदलाव: गिग और प्लेटफार्म श्रमिक

10.22 तकनीक में बदलाव, नई आर्थिक गतिविधियों के विकास, संगठन संरचनाओं में नवीनता और व्यावसायिक मॉडल विकसित करने के साथ काम की प्रकृति बदल रही है। बिचौलियों की अनुपस्थिति में नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों की आसानी से खोज करने की शक्ति के साथ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म रोजगार सृजन के लिए प्रवर्तक बन गए हैं। पारंपरिक ताकतों के अलावा, इन नई ताकतों ने उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के लिए अभिनव तरीकों से बातचात करने के बड़े पैमाने पर अवसर पैदा किए हैं। डिजिटल तकनीक दो तरफा बाजारों[5] को सक्षम बनाती है जिसमें ई-कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्मों जैसे कि अमेजॅन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अर्बन क्लैप, ज़ोमैटो, स्विगी आदि का उदय देखा गया। विश्व में भारत फ्लेक्सी-स्टाफिंग के लिए एक सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है।

10.23 कोविड-19 के कारण हुई तालाबंदी के दौरान, आन लाईन व्यापार की महत्वपूर्ण वृद्धि गिग अर्थव्यवस्था की बढ़ती भूमिका की साक्षी है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को 'घर से काम' करने की प्राथमिकता दी, कर्मचारियों की संख्या में कटौती और ओवरहैड लागत को कम करने के साथ-साथ सिक्लड सेवाओं को किराए पर लेने के लिए फ्री लांसर या कार्यों के लिए आऊट सोर्सिंग को शामिल किया गया। फलस्वरूप, जबकि गिग अर्थव्यवस्था भारत में ब्लू-कॉलर श्रमिकों में लोकप्रिय रही है। उबर/ओला, स्विगी, बिग-बास्केट, पिज्जाहट जैसे प्लेटफार्मों में लगे डिलीवरी बॉय और टैक्सी ड्राइवर, अब व्हाईट-कॉलर श्रमिकों के लिए संभावित उद्योगों के साथ-साथ हायर प्रोजेक्ट में इनकी भी विशिष्ट सलाहकार, लोगों एवं कंटेट डिजाईनर, बेवडिज़ाइनर आदि के लिए उद्योगों में मांग बढ़ रही है। गिग अर्थव्यवस्था का लाभ यह है कि यह सेवा साधक और सेवा प्रदाता दोनों के लिए नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध में लचीलापन देती है।

10.24 गिग श्रमिक के लिए नौकरी अनुबंध की प्रकृति नियोक्ता और कर्मचारी/श्रमिक के बीच होने वाले अनुबंध से अलग होती है। उनका श्रम-अनुबंध आमतौर पर कम या निर्धारित कार्य या सेवा या नौकरी के लिए अधिक विशिष्ट होता है। उनके रोजगार की प्रवृति निश्चित रूप से नियमित के बजाय अस्थायी या संविदात्मक हो सकती है। काम के भुगतान की प्रवृति पीस दर, नेगोशिएबल होती है, जो, वेतन के रूप में या आंशिक रूप से लाभ या इनाम के रूप में हो सकती है। नियोक्ता द्वारा उनके काम पर नियंत्रण मात्रात्मक रूप से भिन्न

5 दो-तरफा बाजार वह है जिसमें मैं i) एजेंटों के दो समूह एक मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और ii) एजेंटों के प्रत्येक समूह के निर्णय एजेंटों के दूसरे समूह के परिणामों को प्रभावित करते हैं, आमतौर पर एक बाह्यता के माध्यम से होता है, (टू-साइडेड ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस एंड द फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग, 31 मार्च 2015 Rysman, 2009)

होता है, लेकिन किसी भी मामले में पूर्ण नहीं होता है। काम करने के लिए, काम कब, कहाँ करना है, आदि के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकांश श्रमिक स्वतंत्र होते हैं।

10.25 हाल ही में गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक मुख्य रूप से अपने मूल अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से वंचित थे, क्योंकि उन्हें देश के श्रम कानूनों में कर्मचारी की परिभाषा के तहत न तो कर्मचारी माना जाता था और न ही श्रमिक कानूनों के तहत वे कानूनी सुरक्षा के हकदार थे। पहली बार श्रमिकों के इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को प्रस्तुत कर, इसके माधयम से इन्हें असंगठित कामगार की श्रेणी में परिभाषित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। (अनुलग्नक II)

श्रम बाजार पर कोविड-19 का प्रभाव

10.26 कोविड-19 ने शहरी अनौपचारिक श्रमिकों की भेद्यता को उजागर किया है। (पीएलएफएस, जनवरी-मार्च, 2020 के अनुसार शहरी कार्यक्षमता का 11.2 प्रतिशत); उनका यह महत्वपूर्ण अनुपात प्रवासियों का होना माना जाता है वे लॉकलाडन से प्रभावित होने वाले पहले लोगों में से एक थे। कम विकल्पों की वजह से लगभग 63.19 लाख प्रवासी कामगारों ने मई-अगस्त 2020 तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा की थी। अनौपचारिक क्षेत्रों में अंतर-राज्य प्रशासन और रोजगार पर सीमित आंकड़ों की उपलब्धता की वजह से, उन प्रवासियों की संख्या का पता लगाना कठिन है जो महामारी के दौरान नौकरी और आवास खो चुके हैं, और घर लौट आए हैं। भारत सरकार ने संकट को कम करने के लिये लॉकडाउन से पूर्व एवं बाद की अवधि के दौरान मई महत्वपूर्ण पहल की हैं। (बॉक्स 6)

बॉक्स 6: रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए कार्यक्रम और योजनाएं

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: नवम्बर 2020 में आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक घटक की घोषणा की गई थी। इस योजना की कुल अनुमानित राशि यानि मजदूरी माह 31 मई, 2023 तक की अवधि के लिए ₹ 22.810 करोड़ है।

(i) इस योजना में अक्तूबर 2020 से जून 2021 के दौरान, 1000 कर्मचारियों (यूएएन के साथ इपीएफ सदस्यों का अंशदान) तक को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ वेतन कर्मचारियों और नियोक्ताओं का कुल 24 प्रतिशत, (स्थापना पर लागू प्रत्येक या वैधानिक दर से कर्मचारियों के ई.पी.एफ. का 12 प्रतिशत) का भुगतान करने का तथा कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का भी प्रस्ताव है।

(ii) इस योजना में अक्तूबर, 2020 से जून, 2021 के दौरान 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों की मजदूरी में केवल कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान का हिस्सा (12 प्रतिशत) और कोविड-19 के कारण अपनी मजदूरी गंवाने वाले कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का भी प्रस्ताव है।

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई): पीएमआरपीवाई की घोषणा 9 अगस्त, 2016 को की गई थी। जिसमें नए रोजगार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं के अंशदान के 8.33 प्रतिशत तथा रुपए 15000 प्रतिमाह तक की मजदूरी वाले गारमेंट एवं मेड-अप में लगे नए श्रमिकों के नियोक्ताओं को अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। जिसे बाद में सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर दिया गया है और नए कामगारों को तीन वर्षों के लिए कामगारों का पूरा 12 प्रतिशत भुगतान सरकार कर रही है। स्कीम के दायरे को 01.04.2018 से बढ़ा दिया गया था ताकि नियोक्ताओं के अंशदान के पूर्ण 12 प्रतिशत हिस्से का लाभ सभी सेक्टरों को प्रदान किया जा सके। स्कीम के तहत 1.52 लाख स्थापनाओं के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिया गया। स्थापनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की टर्मिनल तारीख 31 मार्च 2019 थी। पात्र उद्यमों में श्रमिकों की औसत (हिस्सेदारी 62.6 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है और पात्र उद्यमों के भीतर ईपीएफ के लिये पात्र श्रमिकों की हिस्सेदारी 32.5 प्रतिशत से बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई है (चित्र 7)। ये अन्य इस विचार का समर्थ करते हैं कि पीएमपीआरवाई योजना के तहत प्रोत्साहन के साथ पात्र उद्देश्यों में श्रमिकों की औपचारिकता में सुधार हुआ है।

चित्र-7: पीएमपीआरवाई के औपचारीकरण के प्रभाव (श्रमिकों का हिस्सा प्रतिशत में)

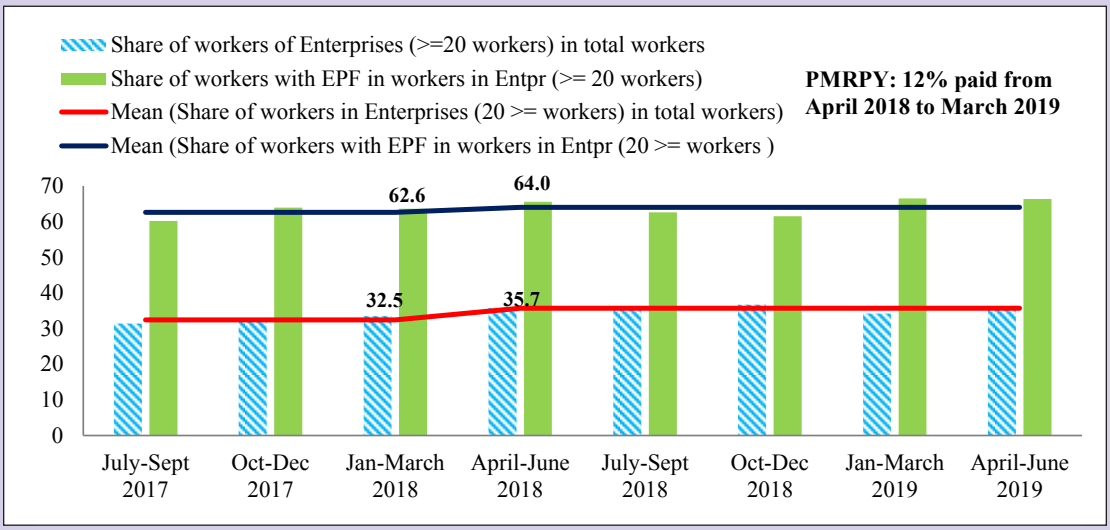

स्रोत: इकाई स्तत पीएलएफएस तिमाही आंकड़े
नोट: नियमित मजदूरी/वेतन ले रहे श्रमिक

अन्य उपाय

- संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत देने के लिए, सरकार द्वारा 28 मार्च 2020 को जारी की गई अधिसूचना में बकाया शेष के 75 प्रतिशत के वापिस न करने योग्य अग्रिम या तीन माह से मजदूरी, जो भी कम हो, का प्रावधान ईपीएफओ के सदस्यों के लिए किया गया है। 01 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार, ईपीएफ ओ 53.62 लाख सदस्यों ने ₹ 13587.33 करोड़ की राशि के ऑनलाईन निकासी की सुविधा का लाभ लिया है।
- इपीएफ एवं एफपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत सभी वर्गों के लिए, मई-जून और जुलाई 2020 के लिए 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक के अंशदान की वैधानिक दर में कमी की गई है। ईपीएफ अंशदान की दर में कमी करके कुछ हद तक तात्कालिक तरलता संकट से निपटने के लिए 6.5 लाख प्रतिष्ठानों में 4.3 करोड़ कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लाभान्वित करने का इरादा है।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के अंतर्गत भवन और निर्माण श्रमिकों (Bocw) को वित्तीय सहायता दी गई थी, जिसमें व्यापक रूप से बीओसीडब्ल्यू के उपकर के अंतर्गत संगहित निधियों से प्रवासी श्रमिक शामिल थे। 31 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने नकद लाभ की घोषणा की है, जोकि प्रतिमाह 1000 से 6000 तक, लगभग 2.0 करोड़ श्रमिकों के लिए कुल 4973.65 करोड़ रुपए है।
- **श्रमिक स्पेशल रेल:** भारतीय रेल ने 1 मई 2020 से फंसे हुए प्रवासी यात्रियों की सुविधा के लिए, राज्यों सरकारों के अनुसरण के अनुरूप विशेष रेलों का संचालन किया। इन रेलगाड़ियों ने लगभग 63.19 प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए यात्रियों को 1 मई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा प्रदान की।

रोजगार का लैंगिक आयाम

10.27 2018-19 में उत्पादक आयु (15-59 वर्ष) में महिलाओं की एलएफपीआर पुरूषों (शहरी + ग्रामीण) की 80.3 प्रतिशत की तुलना में, 26.5 प्रतिशत थी। जबकि 54.7 प्रतिशत शहरी महिलाओं को नियमित वेतन और वेतन भोगी श्रेणी में नियुक्त किया गया था। लगभग 59.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं न केवल स्वरोजगार थी, बल्कि उनमें से 37.9 प्रतिशत घरेलु उद्यमों में सहायक थीं। कम महिला एलएफपीआर, घरेलू कर्तव्यों (एनसीओ, 2004 का एक्टिविटी कोड 92 व 93) में महिलाओं (15 वर्ष और अधिक आयु वाली) की उच्च भागीदारी, 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में 55.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 59.1 प्रतिशत को इसके लिए जिम्मेदार बनाता है।

10.28 एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर, 2019 के दौरान अपनी तरह का पहला टाइम यूज सर्वे (टीयूएस) आयोजित किया जो अन्य बातों के साथ-साथ, इस पर अंतदृष्टि प्रदान करता है कि 24 घंटे की समयावधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरूष एवं महिलाएं अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। यह देखा गया कि एक महिला द्वारा अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर, और घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाओं पर खर्च किया जाने वाला समय पुरूषों से अधिक है। (चित्र-8) महिला सदस्यों द्वारा रोजगार से सम्बन्धित गतिविधियों पर खर्च किया जाने वाला समय पुरूषों की तुलना में 127 मिनट कम है। घर के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल सेवाओं में, महिलाओं ने बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए पुरूषों की तुलना में अधिक समय खर्च किया है। (चित्र-9) इसी प्रकार, घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में, महिलाओं ने भोजन, आहार प्रबंधन और तैयारी के अधिकांश समय बिताया। (चित्र-10)

चित्र 8: विभिन्न गतिविधियों में प्रतिदिन प्रति-भागीदार द्वारा बिताया गया औसत समझा (आयु वर्ग 15-59 वर्ष)

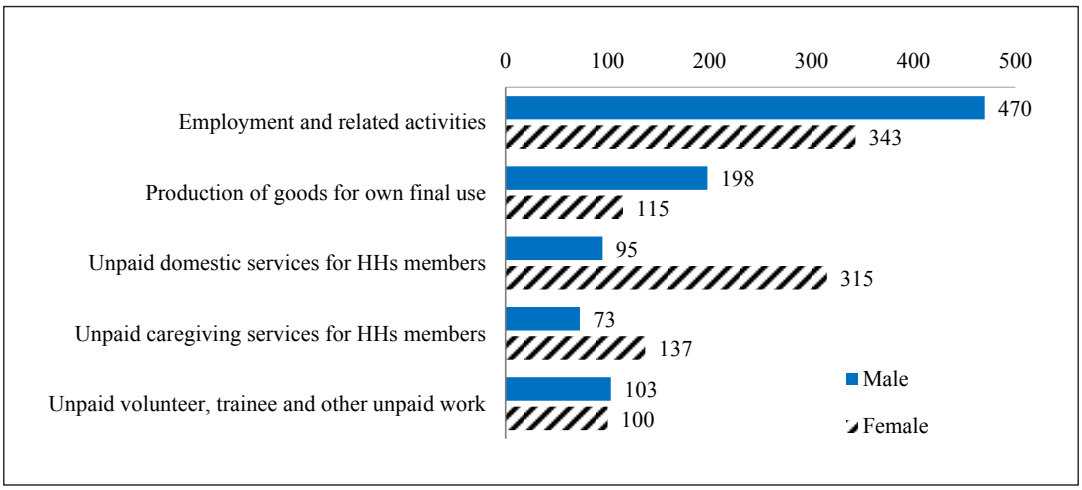

स्रोत: टाईम यूज सर्वेक्षण, 2019

चित्र-9 घर के सदस्यों के लिए (15-59 आयु वर्ष) अवैतनिक देखभाल सेवाओं में प्रति-भागीदार का एक दिन का औसत समय।

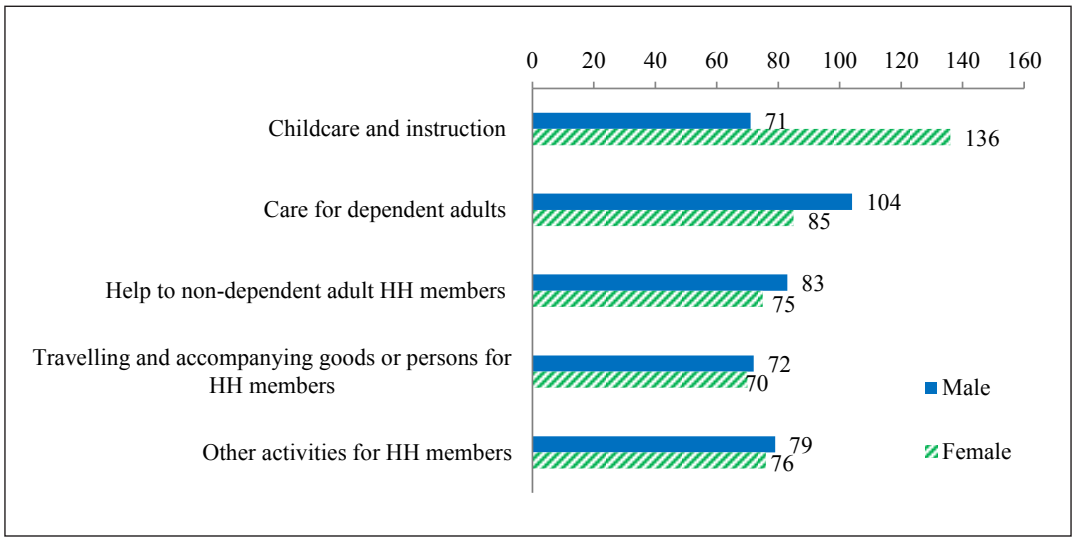

स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019

चित्र-10 घर के सदस्य (15-59 आयु वर्ष) के लिए अवैतनिक घरेलु सेवाओं में प्रति भागीदार के लिए औसत समय (मिनट में)

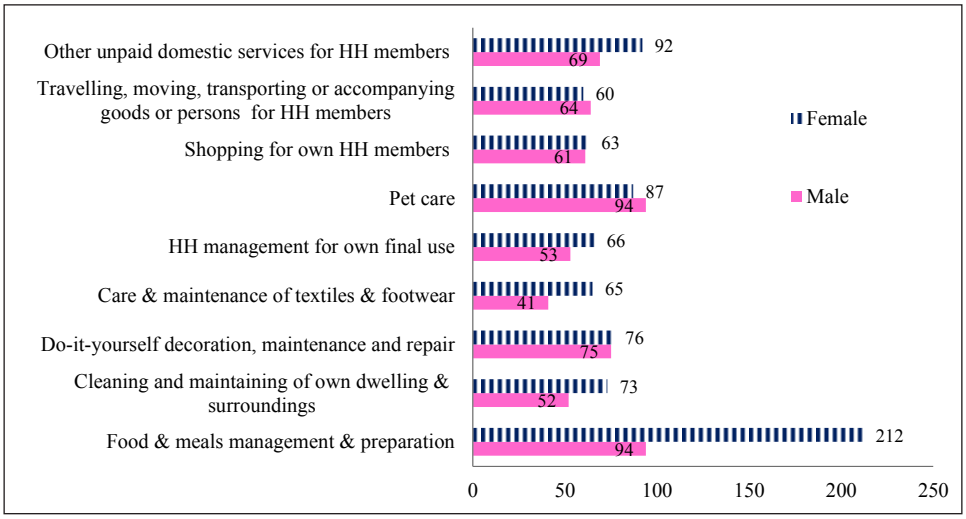

स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019

तालिका 10: विभिन्न स्तरों तक शिक्षित महिला भागीदारों द्वारा एक दिन में बिताया गया औसत समय (मिनट में)

शिक्षा का स्तर	घर के सदस्यों की अवैतनिक सेवा में	घर के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल में
अनपढ़	296	126
प्राथमिक से कम	301	126
प्राथमिक	304	131
प्राथमिक से अधिक/माध्यमिक	308	131
उच्चतर और उससे अधिक	295	146

स्रोत: टाईम यूज सर्वे, 2019

10.29 महिलाओं द्वारा घरेलू एवं देखभाल संबंधी अवैतनिक सेवाएं देने में उनके शैक्षिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि तालिका 10 में दर्शाया गया है, महिलाओं द्वारा दी गई अवैतनिक सेवाएं उनके शैक्षणिक स्तर से प्रभावित नहीं होती है।, यहां तक कि ''माध्यमिक और उससे उपर के शैक्षणिक स्तर वाली महिलाएं भी, घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में 295 मिनट तथा घर के सदस्यों के लिए देखभाल सेवाओं में 146 मिनट बिताती है।

10.30 अर्थव्यवस्था में सहयोग के सम्बन्ध में, उत्पादक आयु वर्ग की महिलाओं ने अवैतनिक गैर-एसएनए गतिविधि[6] में 337 मिनट बिताए, जबकि पुरूषों में यह केवल 41 मिनट ही था। इसी प्रकार, वैतनिक गतिविधियों में 305 मिनट बिताए जबकि यह महिलाओं में केवल 68 मिनट था (चित्र 11)

6 अवैतनिक गतिविधियों में घर में बच्चों एवं बुजुर्गो की देखभाल करना, अपने उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल है जबकि वैतनिक गतिविधियों में स्व-रोजगार, नियमित मजदूरी/वेतन वाली नौकरियां तथा अनियत कार्य शामिल हैं। एस एन ए उत्पादन गतिविधियों में रोजगार वस्तुओं के उत्पादन के लिए या मार्किट/गैर-मार्किट यूनिटों के लिए वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन के लिए अन्य घरों के लिए अवैतनिक प्रत्यक्ष स्वैच्छिक कार्य, वस्तुओं के उत्पादन या मार्किट/गैर-मार्किट यूनिटों के लिए वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन के लिए अवैतनिक समुदाय एवं संगठन आधारित स्वैच्छिक कार्य आदि शामिल हैं तथा गैर-एसएनए उत्पादन में घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाएं, घर के सदस्यों की देखभाल, अन्य घरों के लिए सेवाओं की व्यवस्था के लिए अन्य घरों के लिए अवैतनिक प्रत्यक्ष स्वैच्छिक कार्य तथा घरों के लिए सेवाओं की व्यवस्था के लिए अवैतनिक समुदाय और संगठन आधारित स्वैच्छिक कार्य शामिल हैं। (स्रोत: टीयूएस, 2019)

चित्र 11: प्रतिव्यक्ति (15-59 वर्ष आयु वर्ग के) प्रतिदिन वैतनिक एवं अवैतनिक गतिविधियों में बिताया गया औसत समय (मिनट में)

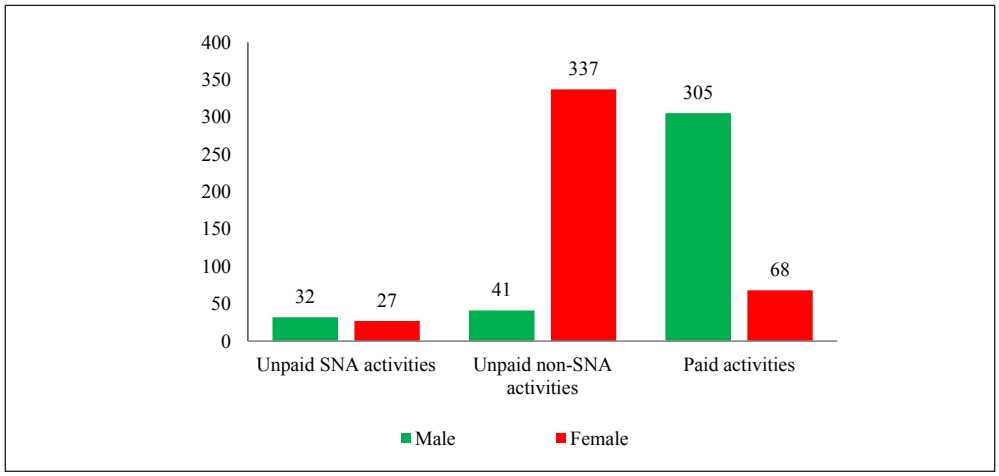

स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019 (तालिका 42, परिशिष्ट क)

10.31 अवैतनिक और देखभाल सेवाओं में दिए गए समय के मामले में भी इसी प्रकार, पुरूषों की तुलना में, कार्य दल में महिलाएं उच्चतम स्थान पर हैं, (340 मिनट अथवा 5.6 घंटे) परन्तु अपेक्षाकृत कम महिलाएं श्रमिक दल से बाहर है। (457 मिनट अथवा 7.60 घंटे) (तालिका 11) दूसरे शब्दों में, कार्य बल में घरेलू क्रियाकलापों की जिम्मेदारियों तथा साथ ही साथ वैतनिक कार्य दोनों ही महिलाओं के कंधों पर है। जो उन्हें रोजगार सम्बन्धित क्रियाकलापों पर दिए जाने वाले समय से कम प्रदान करता है।

10.32 अवैतनिक गैर-एसएनए क्रियाकलापों पर व्यतीत किए गए समय के सम्बन्ध में, समाजिक समूहों के बीच कोई अंतर नहीं था, जो कि एस सी (286 मिनट) द्वारा व्यतीत किए गए समय 'अन्य' समूह से उच्च था। एस टी महिलाओं द्वारा वैतनिक क्रियाकलापों पर दिया गया समय अधिक था। देखा जा सकता है कि एस टी समाजिक समूह की महिलाएं वैतनिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध, अन्य समाजिक समूहों की तुलना में भी प्रकार से व्यवस्थित है। (तालिका 12)

तालिका 11: विभिन्न व्यापक सामान्य प्रधान गतिविधियों में प्रतिव्यक्ति द्वारा प्रतिदिन बिताए गए औसत समय (मिनट में) की स्थिति

गतिविधि स्थिति	रोजगार एवं संबंधित गतिविधियां		घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाएं		घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाएं	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
कामगार	472	382	93	237	71	103
बेरोजगार	245	233	112	222	102	157
श्रम बल	470	381	93	237	72	105
श्रम बल में शामिल नहीं हैं	170	182	112	317	100	140

स्रोत: टाइम यूज सर्वे 2019

तालिका 12: विभिन्न सामाजिक समूहों में वैतनिक एवं अवैतनिक गतिविधियों में प्रति व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन बिताया गया औसत समय (मिनट में)

गतिविधियां	अनु॰ जन जा॰		अनु॰जाति		अ॰पि॰ वर्ग		अन्य	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अवैतनिक एस एन ए गतिविधियां	51	48	27	23	29	23	24	18
अवैतनिक गैर-एस एम ए गतिविधियां	42	266	38	285	37	279	37	286
समग्र अवैतनिक गतिविधियां	94	313	65	307	66	303	61	304
वैतनिक गतिविधियां	218	75	247	60	238	56	247	45

स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019 (तालिका 44, परिशिष्ट क)

10.33 श्रम शक्ति में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के क्रम में, सस्ती और गुणवतापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं के लिए संस्थागत सहायता में निवेश, वैतनिक पितृत्व अवकाश, परिवार के अनुकूल कार्य परिवेश तथा बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्थन की आवश्यकता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर गैर-अलगाववादी प्रथाओं को बढ़ावा देना जैसे समान वेतन एवं वृतिक प्रगति, कार्य प्रोत्साहन में सुधार, जिसमें महिला कामगारों के लिए अन्य चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य

10.34 कोविड-19 ने दिखाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश और सुदृढ़ता का कितना महत्व है। भारत ने पिछले दो दशकों में पोलियो, गुनिया कृमि रोग, पोर्स तथा मातृ और नवजात टेटनिस का उन्मूलन करके अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य संकेतक बताते हैं कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1991 में 3.6 से घटकर 2018 में 2.2 हो गई है। 2016-2018 की अवधि के लिए मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 113 पर था और 2018 में अंडर फाईव मृत्यु दर (U5MR) प्रति 1000 जन्म पर 36 थी। परन्तु 2020 में यह कोविड-19 महामारी ही थी जिसने भारत के स्वास्थ्य अवसंरचना को जांचने के लिए और चिकित्सा4 बिरादरी की अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावी ढंग से महामारी के प्रसार के प्रभावी प्रबन्धन के लिए सामने रखा। भारत में ठीक होने की 95 प्रतिशत से अधिक दर के साथ 1 करोड़ से अधिक कोविड मामले दर्ज हैं। हालांकि, महामारी के कारण देश में 1.52 लाख लोगों की जान चली गई।[7] सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को, विकसित होते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आगे बढ़कर एवं चरणबद्ध तरीके से किया गया था। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15000 करोड़ के आपातकालीन और स्वास्थ्य-पूर्व तैयारी प्रणाली पैकेज की घोषणा की गई और इसे आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता निर्माण प्रयासों को संयोजित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए उसकी रोकथाम, नियंत्रण एवं शमन के लिए सरकार ने कई उपाय किए जिनमें विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शामिल है (बॉक्स 7)

7 12.01.2021 के अनुसार (Source: www.covid19india.org).

बॉक्स-7: कोविड-19 महामारी के विरूध लड़ाई की उपलब्धियां

* सरकार ने आवश्यक दवाओं, हैन्ड सैनिटाइज़र के साथ-साथ मास्क, पीपीई किट सहित सुरक्षात्मक उपकरणों का आकलन किया है और उपलब्धता को सुनिश्चित किया है।

* कोविड-19 के लिए टीके सहित नैदानिक परीक्षणों और नई दवा के अनुप्रयोगों की प्रक्रिया में तेजी लाना।

* केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने 03.04.2020 को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण मानव टीकों की सुचारू आपूर्ति के लिए लॉट रिलीज़ को आसान बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया और 1.5.2020 को कोविड-19 स्थिति के आलोक में डब्लूएचओ, जीएनपी/सीओपीपी प्रमाणपत्र की बढ़ी हुई वैद्यता पर नोटिस प्रकाशित किया।

* सीडीएससीओ ने राज्य औषध नियंत्रकों को एक पत्र जारी कर, एजिथ्रो माईसिन, पेरासीटामोल और हाईड्रोओक्सी कोलोरो क्यूईन जैसे योगिकों की उपलब्धता पर नियमित सर्वेक्षण का अनुरोध किया। सरकार ने 18 मई, 2020 को अधिसूचना जारी की ताकि निर्माता कोविड-19 के लिए किसी भी टीके का भण्डारण और निर्माण कर सकें। सीडीएसओ द्वारा नैदानिक परीक्षण पूरा करने और विनिर्माण अनुमोदन के बाद बिक्री वितरण के लिए नैदानिक परीक्षण के तहत है।

* आपातकालीन और अपूर्ण चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सीडीएससीओ ने कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए देश में प्रतिबंधित तीन दवाओं के आपातकालीन उपयोग और विपणन के लिए अनुमोदित किया है।
  - कोविड-19 संक्रमण के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए रेनडेडिवीयर इंजकेटेवल योगिकों के आयात और विपणन के लिए 1 जून, 2020 को, और उसके बाद तीन स्वदेशी निर्माताओं को इसी दवा के निर्माण एवं विपणन के लिए।
  - कोविड-19 के हल्के और मध्यम संक्रमण के लिए फवीपीराबीर गोलियों के निर्माण तक विपणन की 1 जून 2020 की अनुमति।
  - कोविड-19 के मारण गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिड्रोम (एआरडीएस) के रोगियों के इलाज के लिए साइटोकिन रिलीज इटोलिजुआव इंजेक्शन के लिए 10.7.20 को विपणन की अनुमति।

* सीडीएसओ, 4 दिसंबर 2020 तक वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 25 से अधिक विषय विशेषज्ञ समिति की बैठकों रखे गए प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद कोविड से संबंधित नई औषधियों और नैदानिक परीक्षण अनुप्रयोगों के 150 से अधिक आवेदकों को संसाधित करने में समर्थ हुआ है।

* सीडीएससीओ ने फास्ट-ट्रैक आधार पर कोविड-19 के लिए कुल 242 जांच किटों को मंजूरी दी है जिनमें 4 दिसबंर 2020 तक 124 आरटीपीसीआर किट और 118 रैपिड एंटीबॉडी किट शामिल हैं।

* आयुष मंत्रालय ने स्व-देखभाल दिशानिर्देशों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के विषय में एक सलाह जारी की है। मंत्रालय ने ''रोग प्रतिरोधकता के लिए आयुष'' पर तीन महीने का अभियान शुरू किया।

* फ्रंटलाइन-स्वास्थ्य कर्मियों में गैर-संचारी रोगों की जांच और शीघ्र पता लगाने में समर्थ बनाने के लिए आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों पर एक स्वस्थ-कर्मी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान ने 1 दिसबंर 2020 तक 502 जिलों में 12 लाख से अधिक कर्मियों की जांच को संभव बनाया, ताकि उन्हें निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके और कोविड-19 के प्रति उनके जोखिम वर्गीकरण के लिए भी सावधान किया जा सके, क्योंकि ये फ्रंटलाइन कर्मी (एफएलडब्लू) न केवल इन केन्द्रों में आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने में शामिल थे, बल्कि समुदाय आधारित निगरानी और समुदाय में महामारी फैलाव प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

* कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना' की घोषणा 30 मार्च 2020 को की गई थी। इस योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओ के लिए 50 लाख रुपए का बीमा शामिल है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल के अंतर्गत रहना पड़ सकता है और इस वजह से उन्हें संक्रमण होने का खतरा है।

* **कोविड-19 वैक्सीन:** कोविशिल्ड और कोवैक्सीन जैसे दो स्वदेश में विनिर्मित टीके के माध्यम से 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा प्रतिरक्षात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया। संक्रमिक होने के अधिकतम जोखिम वाले लोगों के लिए मानव सिद्धांत के आधार पर, 3 करोड़ लोगों, मुख्यत: फंडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, को पहले चरण में वैक्सीन दी गई, जबकि बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। 24 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, 16.13 लाख लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया था (पी.आई.बी. द्व ारा जारी विज्ञप्ति तारीख 24 जनवरी, 2021)। टीकाकरण के कार्य को लोगों की भागीदारी (जन भागीदारी), निर्वाचन के प्रयोग संबंधी अनुभव (बूथ संबंधी रणनीति) और सार्वभौमिक प्रतिरक्षात्मक कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के सिद्धांतों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर वैज्ञानिक और विनियामक मानदंडों, अन्य एस.ओ.पी. पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और स्वास्थ्य संबंधी देखरेख पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन के स्टोक्स, इनके भंडारण तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों को ट्रैक करने से संबंधित वास्तविक समय सूचना के लिए सरकार द्वारा को-विन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया हैं, जिसे परिचालित किया जा चुका है।

10.35 **अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा):** कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए देश की प्रतिक्रिया के रूप में आशा कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी के दौरान, कोविड-19 से संबंधित कार्यों के अलावा, आशा कर्मियों ने प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी), टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव और दीर्घकालिक रोगों के उपचार के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय सदस्यों तक पहुंचाने का कार्य जारी रखा। सभी आशा कर्मियों और आशा समन्वयकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया (बॉक्स 7)। उन्हें देय प्रोत्साहन राशि को रूपए 2000 प्रतिमाह बढ़ा दिया गया है।

बाल स्वास्थ्य परिणाम

10.36 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5[8] (एनएफएचएस-5), के पहले चरण में पता चला है कि केरल को छोड़कर विश्लेषण के तहत सभी 10 राज्यों में बच्चों के लिए टीकाकरण में वृद्धि हुई। जननी सुरक्षा योजना (जीवाईएस) के तहत गर्भवती महिलाओं और आशा कर्मियों को संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन देने और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पीएमएमवाईवाई) के तहत सशर्त नकद हस्तांतरण करने का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, भारतीय राज्यों में संस्थागत जन्म में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है (चित्र 12 क)। एन एफ एच एस-5 के तहत उन राज्यों में टीकाकरण और संस्थागत जन्म पर अंतर्राज्यीय अंतर कम हुआ है जिन्होंने एन एफ एच एस 4 में टीकाकरण और संस्थागत जन्म में निम्न स्तर दर्शाया था। (चित्र 12 ख)

10.37 एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 में अधिकांश चुने हुए राज्यों में शिशु मृत्यु दर और अंडर फाईव मृत्यु दर में गिरावट आई है (चित्र 13)। हालांकि, मृत्यु दर में अंतर्राज्यीय अंतर काफी बड़ा रहा। निष्कर्ष, मंद विकास, कुपोषण और रक्ताल्पता ग्रस्त बच्चों की मिश्रित तस्वीर दर्शाते हैं। एनएफएचएस-4

8 एन एफ एच एस-5, 2019-20, चरण-I में अगस्त-दिसम्बर 2019 के लिए 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। एन एफ एच-4 और एन एफ एच-5 के दौरान जिलों की सीमाओं में बदलाव कर दिए जाने के कारण 342 जिलों में से केवल 236 के आंकड़ों की ही तुलना की जा सकी थी। अत: एन एफ एच एस-5 के प्वाइंट अनुमानों की एन एच एच-4 (2015-16) के इंटरवेल अनुमानों के साथ तुलना किए जाने की जरूरत है।

की तुलना में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में अल्पविकसित बच्चों की संख्या कम हुई है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक ने कम वजन वाले बच्चों की संख्या में सुधार के लिए बेहतर काम किया है। एनएचएफएस-5 के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में वेस्टिंग में भी कमी आई है (चित्र-14)। हालांकि, विश्लेषण के तहत दस प्रमुख राज्यों में से अन्य राज्यों में अल्प विकास, कुपोषण और कम वजन वाले बच्चों पर स्थिति या तो स्थिर थी या फिर बिगड़ गई। देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, आंगनबाडी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) जैसी व्यापक योजना के तहत किशोरियों के लिए योजना बनाना, सरकार के कुछ लक्षित कार्यकलाप हैं। मिशन-मोड में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, 8 मार्च 2018 को पोषिण अभियान आरंभ किया गया।

चित्र 12 क बाल स्वास्थ्य संकेतक 'टीकाकरण एवं संस्थागत जन्म'

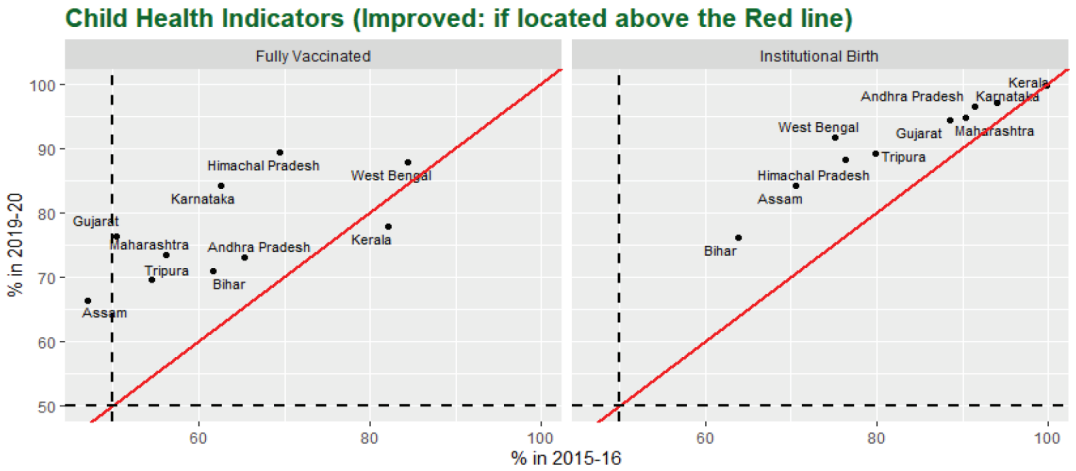

स्रोत: एनएफएचएस-5 (2019-20)

टिप्पणी: जिन्हें टीके लगाए गए: 12-23 माह की आयु वाले बच्चों को उनके टीकाकरण कार्ड या उनकी मां से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्ण टीकाकरण।

चित्र 12 ख बच्चों के टीकाकरण और संस्थागत जन्म में विभिन्न राज्यों के बीच पाया गया अंतर

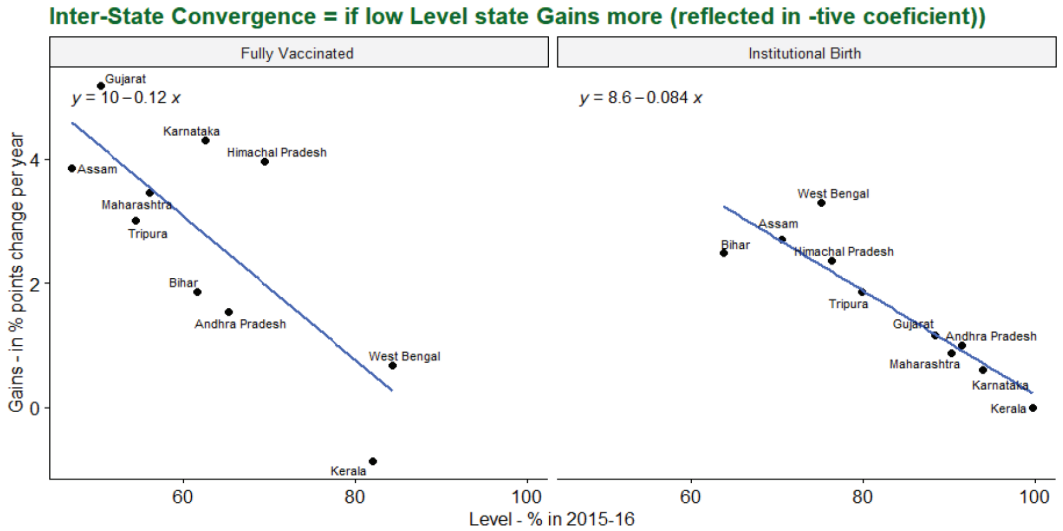

स्रोत: एनएफएचएस-5 (2019-20)

टिप्पणी: जिन्हें टीके लगाए गए: 12-23 माह की आयु वाले बच्चों को उनके टीकाकरण कार्ड या उनकी मां से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्ण टीकाकरण।

चित्र 13 बाल स्वास्थ्य संकेतक, आई एम आर और यू 5 एम आर

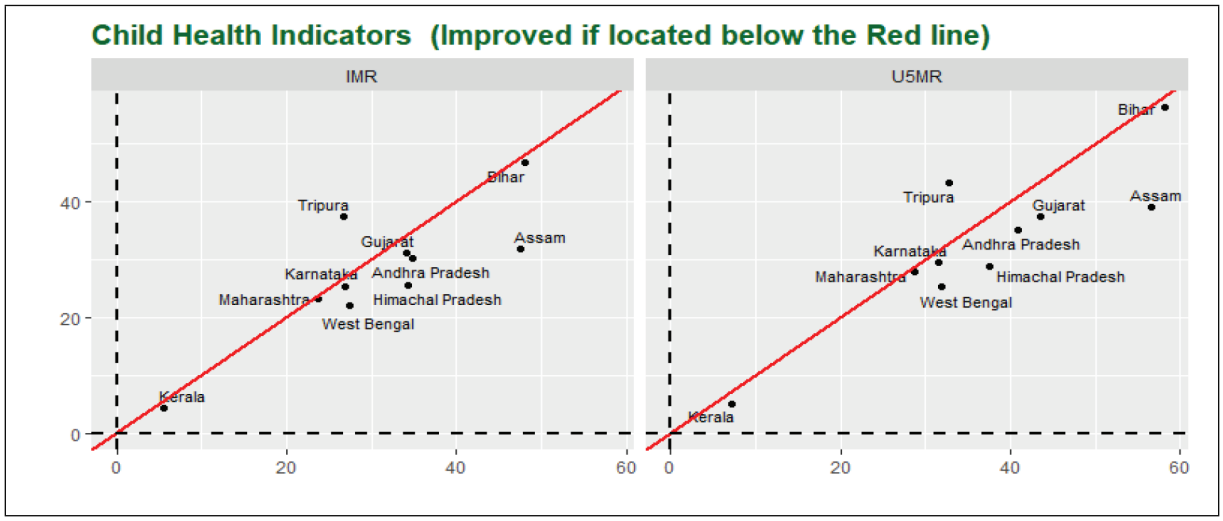

चित्र 14 बाल स्वास्थ्य संकेतक, रक्ताअल्पता ग्रस्त बच्चे, कुपोषित, अत्यधिक कुपोषित, अल्पविकसित और कम वजन वाले बच्चे।

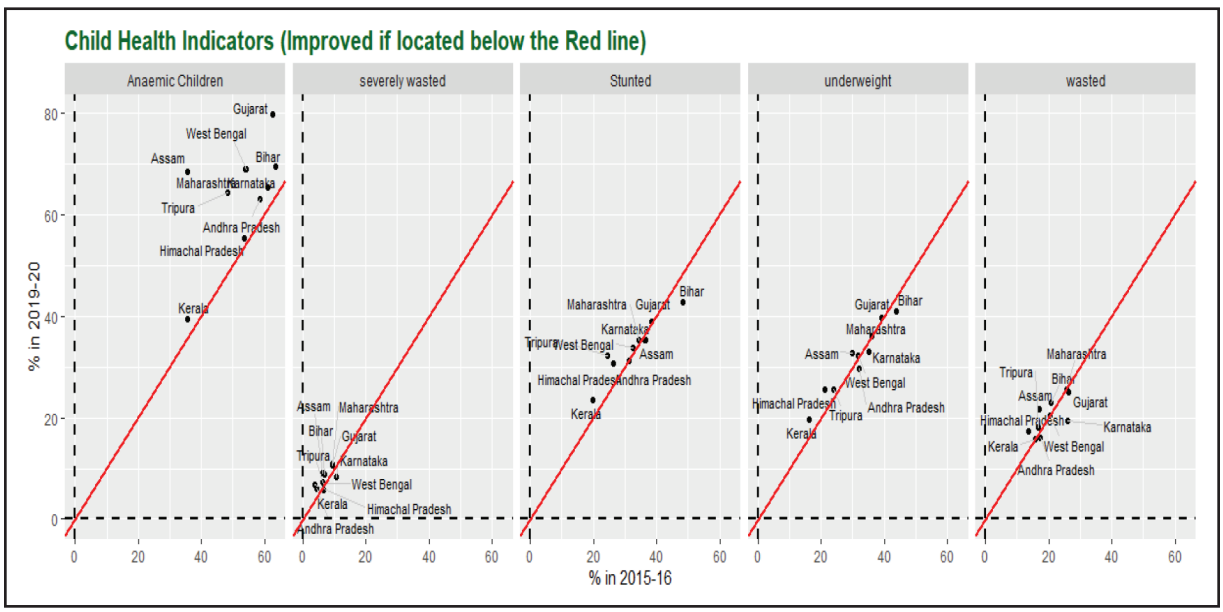

स्रोत: एनएफएचएस-5 (2019-20)

टिप्पणी: आई एम आर शिशु मृत्यु दर: यू 5 एम आर: 5 वर्ष से कम आयु के अल्पविकसित बच्चे 5 मृत्यु दर, अल्पविकसित: (हाइट फॉर एज), कुपोषित: 5 वर्ष से कम आयू के बच्चे जो कुपोषित हैं (लंबाई के अनुसार वजन), अत्यधिक कुपोषित बच्चे) लबाई के अनुसार वजन: कम वजन वाले बच्चे: 5 वर्ष से कम आयु के अत्यधिक कम वजन वाले बच्चे: (आयु के अनुसार वजन); रक्ताल्पता ग्रस्त (<11.0 g/dl) हैं।

10.38 **आयुष:** राष्ट्रीय आयुष अभियान के माध्यम से 12,500 HWC तैयार किया जाएंगे। ये आयुष HWC मौजूदा, आयुष औषधालयों (10,000) तथा उप स्वास्थ्य केंद्र (2500) में सुधार करके तैयार किए जाएंगे। इनके द्वारा सामान्य जनता को आयुष चिकित्सा पद्धति पर ध्यान केंद्रित हुए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4061 सुविधाओं का आयुष HWC के तौर पर उन्नयन किए जाने का अनुमोदन किया गया है।

जल और स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)

10.39 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में, 2014 से अब तक 10 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ, 2014 में 39 प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि से लेकर 2019 में 100 प्रतिशत अविश्वसनीय छलांग लगाकर लक्ष्य प्राप्ति की है। 'ग्रामीण भारत में महिलाओं की, शौचालय और सुरक्षा, सुविधा और स्वाभिमान तक पहुंच' फरवरी, 2020' विषय पर यूनीसेफ के अध्ययन में कहा गया है कि 91 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि शौचालयों के निर्माण के बाद से वे एक घंटे का समय बचा पा रही है और उन्हें शौच के लिए एक किलोमीटर तक की यात्रा नहीं करनी पड़ रही। पिछले पांच वर्षों में कार्यक्रम के तहत हासिल किए गए लाभों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे नहीं रह जाए तथा गांवों में समग्र स्वच्छता हासिल करने के लिए, 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को ₹ 1,40,881 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जो वित्त पोषण के विभिन्न वर्टिकल्स और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं जैसे स्थानीय निकायों, मनरेगा, कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधियों आदि के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदानों के बीच अभिसरण द्वारा खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर केन्द्रित हैं। इसके अलावा, कोविड-19 के दौरान बेहतर, सुरक्षित स्वच्छता और साफ-सफाई के उपायों के लिए स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एएनबी पैकेज के तहत जून, 2020 में पीएम जीकेआरए को भी प्रारंभ किया गया था। पीएमजीकेआरए के तहत, अब तक 29,695 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

10.40 सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा करके, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के ''जीवन गुणवत्ता सुधार'' और ''जीवन जीने में सुविधा'' को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हैं (बॉक्स-8)। अगस्त 2019 में योजना के शुभारंभ के समय, कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण घरों में से लगभग 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में नल के जल की आपूर्ति थी। शेष 15.70 करोड़ (83 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में 2024 तक क्रियात्मक नल जल कनेक्शन (एफटीडब्ल्यूसी) उपलब्ध किए जाने है (चित्र 16)।

बॉक्स 8: जल जीवन मिशन (जेजेएम)

- जेजेएम का उद्देश्य क्रियात्मक नल जल कनेक्शन द्वारा दीर्घकालिक आधार पर नियमित तौर पर 55 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पाइपलाइन द्वारा पेय जल की आपूर्ति प्रत्येक ग्रामीण घर तक सुनिश्चित करना है।
- राज्यों के साथ साझेदारी में कुल 3.60 लाख करोड़ के व्यय के साथ, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को एफटीडब्ल्यूसी उपलब्ध करवाना।
- जेजेएम एक विकेन्द्रीकृत, मांग द्वारा संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूसी)/पानी समिति/उपभोक्ता समूहों आदि के साथ पेयजल आपूर्ति प्रणाली के नियोजन, कार्यान्वय, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- जेजेएम देश में दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए जल जनापयोगी सेवाओं के रूप में कार्यरत रहने के लिए जल आपूर्ति विभाग और स्थानीय समुदायों को सशक्त कर रहा है।

चित्र 15: ग्रामीण आवासों में एफटीडब्ल्यूसी कवरेज तक की पहुंच संचयी प्रगति (लाख में)

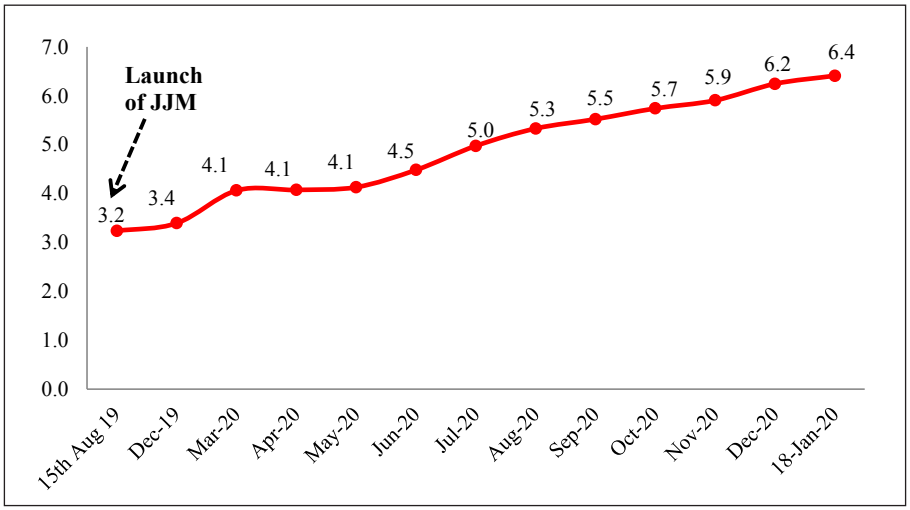

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (18.01.2021 तक)

10.41 ''नो वन इज़ ऑउट'' के सिद्धांत के साथ, देश भर के 18 जिले, गुजरात(5), तेलंगाना(5), हिमाचल प्रदेश(1), जम्मू और कश्मीर(2), गोवा(2) और पंजाब (3), 'हर घर जल जिले' बन गए हैं। इस तरह, 402 ब्लॉक, 31,848 ग्राम पंचायतें, 57,935 ग्राम क्रमशः हर घर जल ब्लॉक', 'हर घर जल पंचायत', और 'हर घर जल गांव' बन गए है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां नल जल कनेक्शन वाले 100 प्रतिशत घर है अर्थात 'हर घर जल राज्य'। मिशन के शुभारंभ से अब तक लगभग 3.2 करोड़ ग्रामीण घरों को एफटीडब्ल्यूसी प्रदान किया गया हैं

ग्रामीण विकास

10.42 भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लोकडाउन की अवधि के दौरान प्रतिलोम प्रवास की घटना देखी गई, जिसमें प्रवासियों को परिवहन के सभी संभावित साधनों का लाभ मिला था यहां तक की घरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। लेकिन इन प्रवासियों की महानगरों में वापसी, कोविड-19 संबंधित कड़ाइयों के सामान्य होने पर ही हो पाएगी। ऐसी प्रतिकूलताओं के बावजूद, कोविड-19 संबंधित संकट से निपटने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लचीलापन एक अच्छे फसल के मौसम और सरकारी प्रोत्साहन पैकेज द्वारा संभव था।

10.43 मार्च, 2020 में पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित किए गए पहले उपायों में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत मौजूदा वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए ₹ 500 की दो किस्तों में ₹ 1000 का हस्तांतरण शामिल है। 2.82 करोड़ एनएसएपी लाभार्थियों को ₹ 2814.50 करोड़ की राशि जारी की गई। पीएम जन धन योजना में प्रति महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन माह तक डिजिटल रूप से 500 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया, जो लगभग ₹ 20.64 करोड़ है। तीन महीने के लिए लगभग 8 करोड़ परिवारों की गैस सिलेंडर का मुफ्त वितरण। 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुफ्त ऋण सीमा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख की गई, जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को सहायता मिलेगी।

10.44 एएनबी अभियान के तहत घोषित प्रोत्साहन उपायों की दूसरी किश्त में, महात्मा गांधी नरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों की वापसी और साथ ही साथ मानसून के मौसम में अधिक कार्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए लगभग 300 करोड़ मानव दिवस सर्जन में सहायता मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में 2020-21 की स्थिति के अनुसार, अब तक कुल 311.92 करोड़

मानव-दिवसों का सर्जन किया गया है और कुल 65.09 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य और 3.28 लाख जल संरक्षण संबंधित कार्य पूर्ण किए गए। मनरेगा के तहत मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से 20 रुपए बढ़ाकर, 182 रुपए से 202 रुपए कर दिया गया है तो एक श्रमिक को सालाना 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा। योजना के मुख्य तत्व और उल्लेखनीय उपलब्धियां बॉक्स 9 में दी गई है:

बॉक्स 9: मनरेगा के प्रमुख तत्व और उल्लेखनीय उपलब्धियां

- मनरेगा को परस्पर मजबूत करने में शामिल है, इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस), आधार का उपयोग, संपत्ति की जियो टैगिंग और सोशल ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना, रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग कर अनुमानित गणना के लिए सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन (एसईसीयूआरई), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएम) आधारित योजना, कार्य आकलन की क्षमता बढ़ाने के लिए समय और गमन अध्ययन (टीएमएस), जन-मनरेगा-अ मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम, ई-सक्षम-डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, खराब कार्यान्वयन क्षमता के साथ चयनित ब्लॉकों में सभी स्तरों पर विषयगत विशेषज्ञों की स्थिति के लिए क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट (सीएफपी) और लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट उन्नति।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 (21.01.2021 तक), 311.92 करोड़ मानव-दिवस उत्पन्न किए गए जो अब तक का सबसे उच्च है। कुल मानव-दिवसों में से, महिलाओं के लिए मानव-दिवस 52.69 प्रतिशत, एससी के लिए 19.9 प्रतिशत और एसटी के लिए 17.8 प्रतिशत है, जो मानदंडों से काफी ऊपर हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 (21.01.2021 तक) के दौरान किए गए कुल कार्यों का लगभग 61 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं से संबंधित है और कुल व्यय का 68.3 प्रतिशत कृषि और संबद्ध कार्यों पर है।
- 4.24 करोड़ मनरेगा आस्तियां जियो-टैग की गई और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई।
- 2020-21 के दौरान मनरेगा श्रमिकों के खातों में 99 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान किया गया, जबकि 2013-14 के दौरान यह 37.17 प्रतिशत था।

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएआई-एनएलएम)

10.45 डी ए वाई-एन आर एल एम गरीबों के सतत सामुदायि संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करती है। इस मिशन का उद्देश्य एस एच जी एस में लगभग 9 से 10 करोड़ को गतिशील करके तथा उन्हें वित्त के औपचारिक स्रोत, सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों और सेवाओं तक समर्थ बनाकर तथा उनके कौशलों का निर्माण करके सतत् आजीविका अवसरों तक उनसे पहुंच बनाकर मिशन से जोड़ना है। संचयी प्रगति (दिसंबर 2020 तक) दर्शाती है कि लगभग 7.62 लाख परिवारो को 66.03 लाख एस एच जी में जोड़ा गया है पूंजीगत सहायता के संदर्भ में एस एच जी को मिशन के माध्यम से रिवाल्विंग निधि तथा सामुदायिक निवेश के रूप में ₹ 12195 करोड़ अधिक उपलब्धा कराए गए हैं। क्षमता निर्माण एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में मिशन ने 3 लाख सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं तैनात किया है। डी ए वाई- एन आर एल एम ने बैंक तथा कॉपन सेवा केंद्र की सहायता से बैंकिग कारस्पोंडेंट सखी (बी सी सखी) के रूप में एस एच जी महिलाओं के विकास तथा डिजिटल वित्त के प्रोत्साहन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंचाने में भी संलग्न है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जे एस वार्ड)

10.46 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2020 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों को निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (मैदानी क्षेत्रों में 500 +, उत्तर पूर्व तथा हिमालयी राज्यों 250+) के सभी अर्हक अनगिनत आवासों को सभी मौसमों में जोड़ने वाली एक सड़क उपलब्ध कराना है। पी एम जी एस वाई ने दो चरण को समाप्त कर लिया है तथा तीसरे चरण को 125 लाख कि. मी. की सभी मौसमों में जोड़ने

वाली सड़क के लक्ष्य आबंटन के साथ आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 6.44 लाख कि. मी. से अधिक लंबी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। यह योजना मूलभूत सेवाओं तक पहुंच को उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण लोगों को आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग करती है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA)

10.47 जी के आर ए को 6 राज्यों 25 कार्यों पर फोकस के साथ 125 दिन की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। यह अभियान 12 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच एक अभिसरण प्रयास है लौटते प्रवासियों तथा ऐसे ही प्रभावित ग्रामीण नागरिकों की आजीविका अवसरों का प्रावधान, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से गांवों को मुक्त करना और सड़क, आवास, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका संपत्तियों और सामुदायिक परिसरों के निर्माण द्वारा आजीविका के अवसरों को विकसित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। यह आजिविका अवसरों को बढ़ाना है। लौटते हुए प्रतिलोम प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए 25,000 तथा उससे ज्यादा की संख्या वाले प्रतिलोम प्रावासी श्रमिकों के जिलों को चिहिन्त किया गया है। जून, 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक 40.34 करोड़ व्यक्ति दिवस के रोजगार अनुमानित सुजन के साथ ₹ 50,000 करोड़ के स्रोत सहायता के साथ इस अभियान की शुआत की गई है। यह अभियान 6 राज्यों के चयनित 116 जिलों में आजीविका अवसरों के साथ गांव वालों के सशक्तीकरण में सहायता कर रहा है। यह जिले है:- बिहार (32 जिले), झारखण्ड (3 जिले) मध्यप्रदेश (24 जिले), ओड़ीसा (4 जिलों राजस्थान (22 जिले) तथा उत्तरप्रदेश (31 जिले। यह अभियान ₹ 39293 करोड़ के कुल व्यय खर्च के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजन को प्राप्त कर लिया है। अभियान के उद्देश्यों के अनुसरण में सृजित आस्तियां (बॉक्स 10) में ब्यौरेवार दी गई।

बॉक्स 10: जी.के.आर.ए. के तहत निर्मित सरकारी अवसंरचना और परिसम्पत्तियां

- 1,59,697 जल संरक्षण-संरचनाएं, 45,071 कैटल शेड, 4,848 कृमि खाद की इकाइयां, 2,854 मुर्गीपालन शेड्स, 34,005 कृषि-भूमि के लिए तालाब, 16,399 कुओं से संबंधित संरचना।
- 23,010 सामुदायिक आरोग्य कर कॉम्प्लैक्स
- 73,307 वृक्षारोपण (सी.ए.एम.पी.ए. फंड के जरिए, इसे सम्मिलित करते हुए)
- 4,713 पी.एम.-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कार्य
- पी.एम.-ग्रामीण सड़क योजना के तहत कुल 1402 किलोमीटर सड़क बनाई गई
- 4,81,210 ग्रामीण घर, 3,607 आंगनवाड़ी केन्द्र
- ठोस और द्रव अवशेष के प्रबंधन से संबंधित 25,645 निर्माण कार्य
- जल जीवन मिशन के तहत 17,240 निर्माण कार्य
- ₹ 5810.97 करोड़ के वित्त आयोग के फंड के तहत निर्माण कार्य
- ₹ 327.10 करोड़ की पी.एम. ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत निर्माण कार्य
- कुल 7069 किलोमीटर सड़क की संरचना और रख-रखाव को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत स्वीकार किया गया था।
- इस अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के) के माध्यम से 68,136 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया था।
- भारत नेट के तहत 92,158 किलोमीटर फइबर ऑप्टिक केबल का बिछाया जाना।
- ₹ 1042.82 करोड़ के जिला खनिज पदार्थ फंड से कार्य शुरू किए गए।

निष्कर्ष

10.48 भारत के आर्थिक विकास में सामाजिक अवसंरचना में निवेश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सरकार सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में पूरी तरह से सुधार लाने के लिए रोजगार अवसर, हाउसिंग, स्वच्छता आदि उपलब्ध कराकर और एस.डी.जी. प्राप्त कर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के बावजूद, सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में 2020-21 में वृद्धि हुई है और जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, एम.जी.एन.आर. ई.जी.एस. के तहत उच्चतर आवंटन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान और पथप्रवर्तक-श्रम सुधार आदि के जरिए प्रयास जारी रहा था। सामाजिक पूंजी में निवेश करने में अर्थ-व्यवस्था की ओर भारत का विकास सुदृढ़ है।

अध्यायों की एक झलक

- संयुक्त (केंद्र और राज्य) सामाजिक क्षेत्र व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। यह बढ़ोतरी बजटीय व्यय के अनुपात के रूप में भी प्रकट हुई है।
- एचडीई 2019 में कुल 189 देशों में से भारत की रैंक 2018 में 129 के मुकाबले 131 दर्ज की गई थी। एचडीआई सूचकांकों में उप घटक वार अवलोकन द्वारा भारत का ''जीएनआई प्रतिव्यक्ति आय (2017 पीपीपी $)'' 2019 में 6681 अमेरिकी डॉलर हुई है 2018 में 6427 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर तथा जन्म पर ''जीवन प्रत्याशा'' क्रमश: 69.4 से सुधर कर 69.7 वर्ष हो गई। स्कूलिंग के औसत और अनुमानित वर्षों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है।
- ऑनलाइन स्कूलिंग को कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर ग्रहण किया गया है। डाटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आदि तक पहुंच का महत्व ऑनलाइन अधिगम तथा रिमोट वर्किंग के कारण बढ़ गया। ऑनलाइन/डिजिटल स्कूलिंग को समाज के सभी वर्गों तक लाने के लिए नवोन्मेषी उपायों को अपनाया गया है।
- औपचारिक कौशल प्रशिक्षण में ग्रामीण, शहरी एवं जेंडर वर्गीकरण सहित सभी सामाजिक, आर्थिक वर्गीकरणों के लिए पीएलएफएस के वार्षिक चक्र में सुधार देखा गया है।
- वर्ष 2018-19 रोजगार सृजन के लिए एक अच्छा वर्ष रहा है। इस अवधि के दौरान सृजित कुल लगभग 1.64 करोड़ अतिरिक्त रोजगार में से, 1.22 करोड़ रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में और 0.42 करोड़ रोजगार शहरी क्षेत्र में दिए गए थे। महिला, एलएफपीआर 2017-18 में 17.6 प्रतिशत से 2018-19 में 18.6 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- शहरी क्षेत्रों के लिए पीएलएफएस का तिमाही सर्वेक्षण जनवरी 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान नियमित मजदूरी/वेतनभोगी के रूप में लगे हुए कार्यबल के बड़े भाग को दर्शाता है।
- सरकार ने आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं। वर्तमान केंद्रीय श्रमिक कानूनों का बदलते श्रम बाजार रूझानों के साथ ताल-मेल बिठाने के लिए इन कानूनों को 4 श्रमिक सहिताओं में तर्क संगत एवं सरलीकृत किया गया है। यह हैं (i) मजदूरी संहिता, 2019 (ii) अंतर्राष्ट्रीय संबंध संहिता, 2020, (iii) वृत्तिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य करने की परिस्थिति संहिता 2020 (iv) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।

- टाइम सर्वे 2019 दर्शाता है कि घरेलू कामकाज तथा परिवार के सदस्यों की देखभाल में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय व्यतीत करती हैं यह भारत में महिला (एफएफपीआर) में अपेक्षाकृत कम स्तर के कारण की व्याख्या करता है। कार्यस्थलों पर महिला कार्यकर्ताओं के लिए अन्य चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित वेतन तथा वृत्तिक प्रगति, कार्य प्रोत्साहनों में सुधार जैसे गैर-विभेदकारी कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

- कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में लॉकडाउन, सामाजिक दूरी, यात्रा संबंधी ऐडवाइजरी, नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क पहनने जैसे प्रारंभिक उपायों से इस बीमारी के प्रसार में कमी आई है। हमारे देश ने आवश्यक दवाओं हैंड सैनिटाइजर, मास्क, पी.पी.ई. किट, वैंटिलेटर्स जैसे संरक्षी उपकरण कोविड-19 की जांच और उपचार संबंधी सुविधाओं से आत्मविश्वसनीयता भी अर्जित की है। दो स्वदेशी विनिर्मित टीके के माध्यम से, 16 जनवरी, 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।

- एनएफएचएस-5, (फेज 1) के परिणाम ने जिन अधिकांश राज्यों में फेज-1 के परिणाम जारी किए गए हैं, वहां बच्चों के लिए प्रतिरक्षण कवरेज, संस्थागत प्रसव, शिशु मृत्युदर और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्य दर में सुधार को दर्शाता है।

- मार्च, 2020 में पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित किए गए पहले उपायों में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत मौजूदा वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए ₹ 500 की दो किस्तों में ₹ 1000 का हस्तांतरण शामिल है। 2.82 करोड़ एनएसएपी लाभार्थियों को ₹ 2814.50 करोड़ की राशि जारी की गई। पीएम जन धन योजना में प्रति महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन माह तक डिजिटल रूप से 500 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया, जो लगभग ₹ 20.64 करोड़ है। तीन महीने के लिए लगभग 8 करोड़ परिवारों की गैस सिलेंडर का मुफ्त वितरण। 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुफ्त ऋण सीमा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख की गई, जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को सहायता मिलेगी।

- वर्ष 2020-21 की स्थिति के अनुसार अब तक कुल 311.92 करोड़ श्रम-दिवस का सृजन किया गया है और कुल 65.09 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य और 3.2 लाख जल संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किए गए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी को 1 अप्रैल 2020 से ₹ 20 बढ़ाकर ₹ 182 से ₹ 202 तक कर दिया गया है जो कि एक श्रमिक को सालाना ₹ 2000 की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा।

अनुलग्नक I

तालिका- उद्योग, जेंडर तथा क्षेत्रों वार श्रमिकों (पीएस+SS, सभी आयु वर्ग) की संख्या

(करोड़ में)

क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
पी.एल.एफ.एस. 2017-18									
कृषि	12.72	5.47	18.27	0.61	0.25	0.85	13.9	6	20.03
खनन और उत्खनन	0.1	0.02	0.13	0.07	0.01	0.08	0.18	0.02	0.19
विनिर्माण	1.75	0.69	2.47	2.71	0.77	3.48	4.28	1.39	5.7
विद्युत, जल आदि	0.1	0.02	0.09	0.15	0.02	0.17	0.25	0.02	0.28
कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य)	3.68	0.46	4.11	1.44	0.13	1.55	5.15	0.6	5.7
व्यापार, होटल और रेस्त्रां	2.34	0.33	2.66	3.12	0.43	3.54	5.26	0.73	5.94
परिवहन भंडारण और संचार	1.29	0.02	1.3	1.51	0.11	1.63	2.72	0.11	2.78
अन्य सेवाएं	1.91	0.7	2.62	2.76	1.44	4.21	4.5	1.97	6.51
सभी	23.91	7.7	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
पी.एल.एफ.एस. 2018-19									
कृषि	13.4	6.19	19.5	0.68	0.3	0.97	14.88	6.71	21.51
खनन और उत्खनन	0.12	0.02	0.13	0.08	0.01	0.08	0.19	0.02	0.2
विनिर्माण	1.88	0.69	2.56	2.83	0.83	3.67	4.44	1.47	5.9
विद्युत, जल आदि	0.12	0	0.13	0.01	0.02	0.19	0.26	0.02	0.29
कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य)	3.53	0.45	4.04	1.48	0.14	1.63	5.07	0.59	5.71
व्यापार, होटल और रेस्त्रां	2.24	0.34	2.59	3.1	0.43	3.53	5.07	0.74	5.85
परिवहन भंडारण और संचार	1.27	0.03	1.31	1.61	0.11	1.72	2.74	0.13	2.88
अन्य सेवाएं	1.85	0.75	2.59	2.72	1.47	4.18	4.33	2.1	6.44
सभी	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78

स्रोत: पी.एल.एफ.एस. की वार्षिक रिपोर्टों से प्राक्कलित

अनुलग्नक II

श्रम संबंधी चार संहिताओं की विशिष्टताएं

सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानून/अधिनियम को चार नियमावलियों, अर्थात् (i) मेहनताना संहिता, 2019 (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (iii) पेशा संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों (ओ.एस. एच.) संहिता, 2020 (iv) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सरलीकृत, पुनर्गठित कर सममेलित किया गया है। व्यवसाय संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित तीन संहिताओं को 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया था, जबकि मेहनताना संहिता को 08.08.2019 को अधिसूचित किया गया था। श्रम संबंधी इन संहिताओं के जरिए, ट्रेड यूनियनों (मजदूर संघों), नियोक्ताओं, केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों और श्रम क्षेत्र के विशेषज्ञों, हितधारक परामर्शदाताओं से वर्षों तक परामर्श करने के बाद अत्यधिक आवश्यक श्रम कल्याण सुधार किए गए हैं। जनता और हितधारकों से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र में मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं। इन संहिताओं की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

मेहताना संहिता, 2019: इसमें मेहनताना और भुगतान संबंधी 4 श्रम कानून जैसे कि; मेहनताना का भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मेहनताना अधिनियम, 1948, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 सम्मिलित हैं। मेहनताना संबंधी संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) संगठित या असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को न्यूनतम मेहनताना और मेहनताना का सामयिक भुगतान करने के लिए संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। यह वर्तमान में, 30 प्रतिशत कार्यबल के मुकाबले इस देश में सभी कामगारों को न्यूनतम मेहनताना की हकदारी देता है। वर्तमान में, खनन क्षेत्र, वृक्षारोपण, बंदरगाह (डॉक) के कामगार, इमारत और निर्माण-कार्य संबंधी कामगार, पहरा और निगरानी, सफाई और विनिर्माण क्षेत्र आदि को मुख्यत: कवर करने वाले रोज़गार के लिए न्यूनतम मेहनताना निर्धारित किया जाता है। सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र में (आई.टी., आतिथ्य, परिवहन आदि) घरेलू कामगारों, असंगठित कामगारों, शिक्षकों आदि को शामिल किया जाएगा।

(ii) न्यूनतम मेहनताना की दरों के स्थिरीकरण के तरीकों को सरल किया गया है। ध्यान में रखे जाने वाले घटक, रोज़गार के अनुसार निर्धारित किए जा रहे मेहनताना की वर्तमान प्रणाली के मुताबिक कौशल के प्रकार और भौगोलिक स्थिति से संबंधित हैं।

(iii) वर्तमान में, 10000 के मुकाबले समस्त देश में न्यूनतम मेहनताना दर की संख्या लगभग 200 होगी।

(iv) केंद्रीय क्षेत्र में, 542 के मुकाबले केवल 12 न्यूनतम मेहनताना दरें होंगी।

(v) प्रत्येक 5 वर्षों में न्यूनतम मेहनताना में संशोधन।

(vi) 'फ्लोर वेज' की एक संवैधानिक अवधारणा का सूत्रपात किया गया है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: (i) मजदूर संघ अधिनिमय, 1926; (ii) औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 और (iii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संबंधित प्रावधानों सम्मिलित, सरलीकृत कर पुनर्गठित करने के बाद औद्योगिक संबंध संबंधी संहिता (आई.आर.कोड) को तैयार किया गया है। इस नियमावली की प्रमुख विशेषताओं में यह शामिल है:

(i) शिकायत निवारण के लिए कामगारों के रूप में 'पर्यवेक्षक' के कार्यक्षेत्र व्याप्ति के प्रयोजन से मेहनताना की उच्चतम सीमा में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मौजूदा। ₹ 10000/- प्रति माह से ₹ 18000/- प्रति माह की वृद्धि की गई है।

(ii) निश्चित अवधि वाले रोज़गार (एफ.टी.ई.) के सिद्धांत की शुरूआत की गई है, जो कि एक फायदे का सौदा है जहां कोई कर्मचारी किसी स्थाई कर्मचारी के सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करता है और नियोक्ता कामगार को संविदा में व्यवधान के बिना नियुक्त कर सकता है। एफ.टी.ई. श्रमिक स्थाई कामगार के समान सभी प्रकार के लाभ का हकदार होगा। इसके अलावा, यद्यपि यह संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए है, एफ.टी.ई. को अनुपाती उपदान के लाभ प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है।

(iii) छँटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने के लिए छँटनी किए गए प्रत्येक कामगार को 15 दिनों की मेहनताना की राशि के बराबर किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा किए गए अंशदान से ''री-स्किलिंग फंड'' प्रस्तावित किया गया हैं यह फंड छँटनी की प्रतिपूर्ति के अलावा मिलता है। इस राशि को 45 दिनों के भीतर कामगरों के खाते में जमा किया जाएगा।

(iv) केंद्रीय और राज्य सरकारों ने छंटनी संबंधी प्रतिपूर्ति में सुधार के लचीलापन प्रदान किया है जो वर्तमान में (फिलहाल) कितने भी दिनों के लिए प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए 15 दिनों के बराबर होगी।

(v) ''वार्ता संघ'' के सिद्धांत को शामिल करते हुए मजदूर संघों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए उनके दीर्घकालीन लंबित मांग पर विचार किया गया है। यह नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच वार्ता में सहयोग प्रदान करेगा। यदि कोई भी मजदूर संघ मस्टर रोल के 51 प्रतिशत से अधिक कामगरों की सदस्यता का लाभ उठाता है, तो इसे नियोक्ता के साथ वार्ता करने के लिए संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि किसी भी एक मज़दूर संघ को 51 प्रतिशत से अधिक कामगरों का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वार्ता के लिए किसी स्थापना में वार्ता परिषद का गठन किया जाएगा। 20 प्रतिशत या उससे अधिक की सदस्यता वाला प्रत्येक मज़दूर संघ 'वार्ता परिषद' में एक सीट का पात्र होगा।

(vi) इसी प्रकार, केंद्र और राज्य के स्तर पर मज़दूर संघों, मज़दूर संघ फेडेरेशन को मान्यता देने के लिए एक प्रावधान किया गया है।

(vii) इस कार्य को सुगम बनाने के लिए, 300 से कम कामगर वाले किसी कारखाने, खनन और वृक्षारोपण में बरखास्तगी, छंटनी और बंदी के लिए, यह संहिता-उपयुक्त सरकार के पूर्व-अनुमति की आवश्यकता को दूर करती है। नोटिस अवधि, छंटनी प्रति पूर्ति और वेतन के एवज में भुगतान संबंधी लाभ को बरकरार रखा गया है।

(viii) अपराध शमन की शुरुआत की गई है। हालांकि, किसी भी अपराध के लिए तीन वर्षों में केवल एक बार ही शमन का लाभ उपलब्ध होगा। असंगठित क्षेत्र में कामगरों के कल्याण के लिए शमन से संग्रहित राशि का उपयोग किया जाएगा।

(ix) श्रम संबंधी विवाद के शीघ्र निपटान में दो-सदस्यों वाला औद्योगिक न्यायाधिकरण सहायता करेगा।

(x) कामगरों के अधिकारों को निश्चित रूप देने में सहयोग करने के लिए और साथ ही साथ कार्य करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, जिन मॉडल स्थाई आदेशों में कार्य के घंटों, पारियों, छुटियों, अनुशासनिक कार्यवाही और सेवा संबंधी अन्य शर्तों से संबंधित मानवीकृत प्रावधान होंगे, उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार का दी गई है।

(xi) कामगरों के अधिकारों के साथ समझौता न करने और इसमें सुगमता, स्पष्टता और उत्तरदायी अनुपालन उपलब्ध कराने के लिए सावधानी बरती गई है। इन परिभाषाओं में कमी और परिमेयकरण से अभियोग में कमी आएगी, और जिससे इसकी स्पष्टता व जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020: 13 केंद्रीय श्रम अधिनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागवानी श्रम अधिनियम, 1951, गोदी (डॉक) कामगार

(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, अंतर्राज्य प्रवासी कामगर (रोजगार विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, कार्यरत पत्रकार व अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, सेल्स प्रमोशन कर्मचारी अधिनियम (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 बीड़ी व सिगार कर्मकार (रोजगार शर्त) अधि नियम, 1966 और सिने-वर्कर्स और सिनेमा थिएटर कर्मकार (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1981 के संबंधित उपबंधों को एकीकृत, सरलीकृत कर परिमेयकरण करने के बाद इस संहिता का मसौदा तैयार किया गया है। इस संहिता की प्रमुख विशेषताओं में निम्न बातें शामिल हैं:-

(i) स्थापनाओं के इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए, 10 कर्मचारियों की एक अपरिवर्तनशील सीमा रेखा निध र्रित की गई है। इन अधिनियमों में 6 पंजीकरणों के स्थान पर किसी भी स्थापना के लिए एक पंजीकरण पर विचार किया गया है। यह केंद्रीकृत डेटाबेस निर्मित कर कार्य करने की सुगमता को बढ़ावा देगा।

(ii) यद्यपि, खतरनाक या जीवन को जोखिम में डालने वाले पेशे को संचालित करने में, 10 से कम कर्मचारी हों, तो इसके लिए एक समर्थकारी प्रावधान निर्मित किया गया है कि केंद्र सरकार किसी भी स्थापना के लिए इस संहिता की प्रयोज्यता में विस्तार कर सकती है।

(iii) इस संहिता से इन स्थापनाओं के लिए एक लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक विवरणी के साथ अनुपालन मकैनिज्म का परिमेयकरण होता है।

(iv) ओ.एस.एच. संहिता प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 में प्रवासी कर्मकार के लिए दी गई प्रारम्भिक परिभाषा में विस्तार करती है। वर्तमान ओ.एस.एच. संहिता में वे कामगर सम्मिलित हैं, जो संविदाकार के अलावा नियोजक द्वारा सीधो तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा, इसे भी सम्भव किया गया है कि जो प्रवासी व्यक्ति अपनी मर्जी से गन्तव्य राज्य में आएगा, वह आधार के साथ संलग्न स्व-घोषणा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पंजीकृत करके स्वयं को प्रवासी कामगर घोषित बनाया गया है और इसके लिए आधार के अलावा किसी भी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।

(v) प्रवासी कामगारों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध न हो पाने का एक मुख्य कारण यह था कि अंतर राज्य प्रवासी कामगारों की परिभाषा सीमित थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए उपाय किए हैं ताकि असंगठित कामगारों को, जिनमें प्रवासी कामगार भी शामिल हैं, नामांकित किया जा सके। इससे अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी कामगारों को काम उपलब्ध करवाने, उनके कौशल का सही इस्तेमाल करने तथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी।

(vi) प्रवासी कामगार राशन और भवन एवं अन्य निर्माण उपकर निधि से प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में नियोक्ता में परिवर्तन होने के बावजूद (पोर्टेबिलिटी) इन सुविधाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।

(vii) सभी या कुछ विशेष प्रकार की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को एक विशिष्ट आयु के बाद नियोक्ता द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य जांच की नि:शुल्क सुविधा प्रदान करनी होगी।

(viii) इस संहिता (कोड) की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है इससे नियोजन के औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

(ix) संहिता में सभी प्रकार के कार्यों से जुड़ी सभी प्रकार की स्थापनाओं में महिलाओं को नियोजित किए जाने की संभावना पर विचार किया गया हैं महिलाओं को अब रात्रि के समय के लिए नियोजित किया जा सकेगा जिसके पहले उनकी सहमति ली जाएगी तथा सुरक्षा, छुट्टी, कार्य के नियत घंटों या संगत

सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इससे स्त्री-पुरूष समानता को बढ़ावा देने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

(x) 'नियोजित पत्रकारों' और 'सिने कार्यकर्ताओं' की परिभाषा की परिधि में संशोधन किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सभी प्रकार के दृश्य-श्रव्य निर्माण कार्य से जुडे कामगारों को भी इसमें शामिल किया जा सके।

(xi) न्यायालयों ने आदेश दिया है कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्तव्यों से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करता है और उसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचती है तो इस स्थिति में नियोक्ता पर लगाए गए जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़ित व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाए।

(xii) वर्तमान में दिए जाने वाले कार्य आदेश आधारित लाइसेंस के बजाय इस संहिता में ठेकेदारों को पांच वर्ष के लिए अखिल भारतीय लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

(xiii) किसी स्थापना में कार्य करने के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर परिवेश के निर्माण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा किसी भी श्रेणी की स्थापना में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके पहले यह व्यवस्था केवल जोखिमपूर्ण व्यवसायों वाली स्थापनाओं के लिए ही लागू थी।

(xiv) पांच श्रम अधिनियम के तहत कई समितियों को एक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो त्रिपक्षीय प्रकृति का है और व्यापार संघों, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व है।

समाज सुरक्षा संहिता 2020: समाज सुरक्षा संहिता ने मौजूदा नौ सामाजिक सुरक्षा अधिनियम शामिल है जैसे; कर्मचारियों का मुआवजा अधिनियम, राजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान, सिने श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, और संगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। संहिता की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

(i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कवरेज को पैन-इंडिया को अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों के मुकाबले 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में विस्तारित किया गया है। हालांकि, ईएसआईसी द्वारा जमीनीस्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर नियोक्ताओं और कर्मचारियों से योगदान को अधिसूचित तिथि से एकत्र किया जाएगा। ईएसआईसी के तहत उपलब्धा लाभों मे चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, आश्रितों और विकलांगता के लिए पेंशन आदि शामिल हैं।

(ii) संहिता में स्वैच्छिक आधार पर 10 से कम कर्मचारियों के साथ प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य आधार पर लाभों के विस्तार की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा ईएसआईसी कवरेज को नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए गए विकल्पों तक भी बढ़ाया जा सकता है।

(iii) योजनाओं के नियमन के माध्यम से ईपीएफओ ओर ईएसआईसी के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज में स्व-नियोजित और किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल करने के लिए एक सक्षम प्रावधान किया गया है।

(iv) ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत, वर्तमान में, भविष्य निधि देय राशि के भुगतान के मामलों का आकलन करने के लिए जांच शुरू करने में कोई सीमा अवधि मौजूद नहीं है। किसी भी कार्यवाही को शुरू करने के लिए 5 साल की सीमा अवधि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि

संगठन के अधिकारियों द्वारा मामलों के मूल्यांकन की एक पारदर्शी ओर पूर्वानुमानित प्रणाली शुरू की गई है।

(v) ईएसआईसी और ईपीएफओ द्वारा एक जांच को पूरा करने के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे केवल एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अनुपालन बढ़ाएगा और मामलों के निपटान में अनुशासन लाएगा।

(vi) भवन और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में देय उपकर के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता द्वारा स्व-प्रमाणन/मूल्यांकन शुरू किया गया है।

(vii) कर्मचारी वर्ग के लिए ईएफ के तहत उनके योगदान के अंतर दरों को अधिसूचित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान किया गया है, ताकि एक निश्चित अवधि के लिए उच्चतर वेतन दी जा सके। हालांकि, नियोक्ताओं का योगदान अपरिवर्तित रहेगा।

(viii) रोजगार के नए रूपों को पूरा करने के लिए, एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर जैसी नई परिभाषाएं पेश की गई हैं। एग्रीगेटर के लिए एक से दो प्रतिशत के बीच का एक छोटा सा योगदान है तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए देय पांच प्रतिशत की सीमा को प्रस्तुत किया गया है।

(ix) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं। जुर्माने की राशि भी सामाजिक सुरक्षा कोष का हिस्सा बन जाएगी। सामाजिक सुरक्षा कोष के इस समर्पित खाते के माध्यम से, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इन श्रमिकों के जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभ, आदि पर उनके कल्याण से संबंधित लाभ के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।

(x) एफ टी ई में लगे व्यक्तियों के लिए, ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम 5 साल की सेवा की आवश्यकता के बिना सेवा के आनुपातिक लाभ बढ़ाया गया हैं एफ टी ई के तहत एक वर्ष के लिए अनुबंध रखने वाला व्यक्ति भी ग्रेच्युटी के रूप में 15 दिनों के वेतन के लिए पात्र होगा।

(xi) ईपीएफ और ईएसआईसी के योगदान की गणना के उद्देश्य से ''मजदूरी'' की परिभाषा में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए मजदूरी की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

(xii) बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए, ''आश्रितों'' की परिभाषा में नाना नानी को शामिल करते हुए विस्तारित किया गया है।

(xiii) किसी भी आई आर दी ए विनियमित बीमा कंपनी से ग्रेच्युटी के लिए कॉरपस/फंड में अनिवार्य बीमा की खरीद के लिए नियोक्ताओं को लचीलापन प्रदान किया गया है, जैसा कि आज केवल एलआईसी में है।

(xiv) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का लाभ अब उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो निवास और कार्यस्थल के बीच यात्रा करते समय दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।

(xv) इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर को प्रवर्तन अधिकारी, इंस्पेक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आदि के स्थान पर संहिता में पेश किया गया हैं उनकी जिम्मेदारियों में अन्य बातों के अलावा, नियोक्ताओं और श्रमिकों को दिए गए सलाह का प्रभावी अनुपालन सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के तहत करना होगा।

(xvi) केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली द्वारा याच्छिक निरीक्षणों को आवंटित करने के लिए एक वेब-आधारित निरीक्षण योजना शुरू की गई है। निरीक्षण योजना में प्रत्येक निरीक्षक को जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान को प्रत्येक निरीक्षक को अद्वितीय संख्या प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(xvii) कोड नियोक्ता द्वारा एकल रिटर्न और एकल पंजीकरण दाखिल करने की परिकल्पना करता है जो इलेक्ट्रॉनिक या कुछ अन्य हो सकता है।

(xviii) वर्तमान में विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था में बदलती ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, संहिता में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर ब्याज की दर की परिकल्पना की गई हैं

(xix) मौद्रिक जुर्माना को युक्तिसंगत बनाया गया है। मौद्रिक जुर्माने को युक्तिसंगत बनाते हुए अपराधों की कम्पाउंडिंग का प्रावधान पेश किया गया है। अब अभियोजना की प्रक्रिया शरू होने से पहले नियोक्ता को इस संहिता के प्रावधान का अनुपालन करने का एक पूर्व अवसर दिया जाएगा।